महावितरण
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

# महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित

प्लॉट क्र. जी–९, प्रकाशगड, बांद्रा (पुर्व), मुंबई–४०००५१
संकेतस्थळ: www.mahadiscom.in

# जाहीर सूचना

## महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण कंपनी) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अंतिम अचूक समायोजन, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन व आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर दाखल केलेल्या बहुवर्षिय वीजदर याचिकेवर सुचना/हरकती /अभिप्राय मागविण्याकरीता (प्र.क्र. २१७/२०२४)

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण कंपनी) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अंतिम अचूक समायोजन, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन व आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी सुधारित एकुण महसुलाची गरज, सद्याचे वीजदर व शुल्क, यातुन अपेक्षित महसूल, अपेक्षित महसूलातील तुट आणि प्रस्तावित वर्गवारी निहाय वीजदर यांचा सुधारित अंदाज यासाठी बहुवर्षिय वीजदर याचिका पाचव्या नियंत्रण कालावधीकरिता (प्र.क्र. २१७/२०२४) महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगास सादर केलेली आहे.

मा. आयोगाने सदर याचिका दि. २२ जानेवारी, २०२५ रोजी दाखल करुन घेतली व विद्युत अधिनियम २००३च्या कलम ६४ (२) अनुसार महावितरणला जाहिर सूचना प्रकाशित करुन जनतेच्या सूचना/ हरकती / अभिप्राय मागविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बहुवर्षिय वीजदर याचिकेची ठळक वैशिष्टये खालील प्रमाणे आहेत.

**अ) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अंतिम अचूक समायोजन व आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन**

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अंतिम अचूक समायोजन व आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजनासाठी प्रत्यक्ष एकुण महसूलाची गरज (वायर व पुरवठा व्यवसाय) व मा. आयोगाने मध्यावधी आढावा याचिकेच्या (प्र.क्र. २२६/२०२२) आदेशाद्वारे मान्य केलेल्या एकुण महसूलाच्या गरजेबरोबरची तुलना खालीलप्रमाणे आहे.

### तक्ता क्र. १ : एकूण महसुलाची गरज (वायर + पुरवठा) व महसुली तफावत / (अधिक्य)

(रु.कोटी मध्ये)

| अ.क्र. | तपशिल | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर | प्रत्यक्ष | मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर | प्रत्यक्ष | मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर | अंदाजे |
| १ | वीज खरेदी खर्च | ६९,०५०.९० | ८३,९३५.७५ | ७२,६४५.२२ | ८४,८६७.३३ | ७३,६२८.९५ | ८४,२८६ |
| २ | संचलन व सूव्यवस्थेवरील खर्च | ७,८४५.६३ | ७,९०५.७८ | ८,२४२.५५ | ९,३३९.११ | ८,६५९.५५ | ९,८५५.३१ |
| ३ | घसारा खर्च | २,६८८.५८ | २,७६९.५३ | २,७६२.३६ | २,७२५.३८ | २,८२०.६० | ३,६०३.४४ |
| ४ | कर्ज भांडवलावरील व्याज | ९४८.७० | ८८८.७६ | ८२६.१७ | ७७९.७२ | ६७०.११ | ८५४.७३ |
| ५ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | १२३.९८ | ११५.१८ | १२५.७५ | १३०.८२ | १२७.१८ | १४५.६४ |
| ६ | ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ४०४.४४ | ४४८.०२ | ४२४.६६ | ६९०.९३ | ४४५.९० | ९००.३४ |
| ७ | इतर वित्तीय आकार | | ४९.७९ | | ४३.७१ | | - |
| ८ | बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद | ७३०.५२ | ९०५.८८ | ७३०.५२ | ९८३.७१ | ७३०.५२ | १,०५६.०१ |
| ९ | अन्य खर्च | ५७.९७ | २५२.०७ | ६०.८७ | २३१.९३ | ६३.९१ | २९०.४६ |
| १० | प्राप्ती कर | | - | | - | | - |
| ११ | पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार | ५,९१५.०७ | ६,०६७.३५ | ८,५९३.७२ | ८,६६६.७७ | ८,६३८.७८ | ८,६३८.७८ |
| १२ | प्रोत्साहन/सवलत | ३६७.३७ | ४७७.३७ | ३८५.७३ | ५६१.६३ | ४०५.०२ | ५८९.७१ |
| १३ | आकस्मित राखीव निधीचे योगदान | | ९६.११ | - | १७४.२९ | - | १९८.०४ |
| १४ | ओपेक्स योजना | ७०.०५ | ६०.५७ | ८४.४५ | ४८.४१ | १२०.४५ | ११३.२१ |
| १५ | मागणी बाजू व्यवस्थापन (डीएसएम) खर्च | | - | | - | | |
| १६ | भाग भांडवलावरील परतावा | १,९३४.५५ | २,१४७.९५ | १,९४६.३५ | २,२६२.७० | १,९५१.४७ | २,१९४.२६ |
| १७ | नियामक दायित्व आकाराचा परतावा | | १.४२ | - | २.७७ | - | १६.६८ |
| १८ | अतिरिक्त अधिभार परतावा | १८०.०० | १६३.८२ | १८०.०० | १६८.१३ | १८०.०० | १६८.१३ |
| १९ | नफा/तोटा वितरणाचा परिणाम खर्च | | २३.९० | - | ४५६.७५ | - | - |
| २० | आयोगाद्वारे मागील कालावधीसाठीचे मंजूर समायोजन | | - | ४,९२५.०० | ४,९२५.०० | १०,०००.०० | १०,०००.०० |
| २१ | मंजूर केलेली मागील महसूली तुट | ४,०१८.०० | ४,०१८.०० | ५,५८५.०० | ५,५८५.०० | ७,०१७.०० | ७,०१७.०० |
| २२ | **अधिक:** पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम | ३१.१४ | ३१.३९ | २८.१३ | २८.३८ | २१.१४ | २१.१४ |
| २३ | वाढीव आणि ठोक वापरावरील सूट | ५४६.४४ | १,०४३.६७ | ४२६.४५ | १,०३०.४० | ५४८.७७ | १,०८१.९२ |
| २४ | एसटीयू शुल्क | | | | | | |
| २५ | **एकुण महसुली गरज** | **९४,९१३.३४** | **१,११,४०२.३३** | **१,०७,९७२.९३** | **१,२३,७०२.८७** | **१,१६,०२९.३५** | **१,३१,०३०.७३** |
| २६ | वीज विक्रीतुन मिळणारा एकुण महसूल | १,००,३२८.६३ | ९३,२०१.३३ | १,०६,९९०.०० | १,१३,३७३.१५ | १,१५,६८२.०० | १,२९,४५८.४५ |
| २७ | वीजदरांव्यतिरिक्त उत्पन्न (नॉन-टॅरिफ) | ३१७.९६ | ६५२.८५ | ३३३.८६ | ५०४.९२ | ३५०.५५ | ५३०.१७ |
| २८ | ओपन ॲक्सेस चार्जेसपासूनचा मिळणारा महसूल | २१६.६९ | १५७.१७ | २१४.७६ | २७०.८५ | २१६.६० | ३००.८० |
| २९ | अतिरिक्त वीज विक्रीतुन मिळणारा महसूल | १७५.४९ | ३१०.०४ | - | २८८.५१ | - | ११२.८७ |
| ३० | वहन आकारातुन मिळणारा महसूल | - | - | - | - | - | |
| ३१ | अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारा महसूल | ११५.५२ | ५२.४६ | ११२.६३ | ८०.५० | १०९.४६ | ०.१४ |
| ३२ | **एकूण महसूल** | **१,०१,१५४.२८** | **९४,३७३.८५** | **१,०७,६५१.२५** | **१,१४,५१७.९३** | **१,१६,३५८.६१** | **१,३०,४०१.६३** |
| ३३ | **महसूलातील तुट/ (अधिक्य)** | **(६,२४०.९४)** | **१७,०२८.४८** | **३२१.६८** | **९,१८४.९४** | **(३२९.२६)** | **६२९. १०** |

### तक्ता २ : आ.व. २०२२-२३, आ.व. २०२३-२४ व आ.व. २०२४-२५ साठीची वीज विक्री

(द.ल.यु.) #

| प्रवर्ग | वीज विक्री | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तपशिल | आ. व. २०२२-२३ (मंजूर) | आ. व. २०२२-२३ (प्रत्यक्ष) | तफावत | आ. व. २०२३-२४ (मंजूर) | आ. व. २०२३-२४ (प्रत्यक्ष) | तफावत | आ. व. २०२४-२५ (मंजूर) | आ. व. २०२४-२५ (अंदाजे) | तफावत |
| घरगुती | २५,६९६.०२ | २३,०४४.४३ | (२,६५१.५९) | २६,२५५.०४ | २४,५२१.५७ | (१,७३३.४७) | २६,८२६.४७ | २६,०१२.०९ | (८१४.३८) |
| बिगर घरगुती | ८,४०४.९४ | ७,३७१.७६ | (१,०३३.१८) | ८,७०२.५१ | ८,१९७.८२ | (५०४.६८) | ९०११.२० | ९१०८.६४ | ९७.४४ |
| उच्चदाब औद्योगिक | ३८,५२०.८८ | ३६,५९१.७८ | (१,९२९.१०) | ३९,६१३.८५ | ३८,१४७.७६ | (१,४६६.०९) | ४०,७३७.८३ | ३९,२५७.८० | (१,४८०.०३) |
| लघुदाब औद्योगिक | ९,६५७.७६ | ९,२१२.६३ | (४४५.१३) | ९,८०४.१५ | १०,०८३.३५ | २७९.२ | ९,९५२.७५ | ११,४१२.३० | १,४५९.५५ |
| सार्वजनिक पाणी पुरवठा | २,७१६.८३ | २,७०१.४९ | (१५.३४) | २,७८३.५८ | २,७९१.९७ | ८.३८ | २८५८.१९ | २८५४.७२ | (३.४७) |
| पथदिवे | ८९६.३३ | १,०८९.०७ | १९२.७५ | ८९६.३३ | १,०९८.०८ | २०१.७५ | ८९६.३३ | १,११७.५० | २२१.१८ |
| कृषी | २७,९५३.४५ | ३७,६६६.०४ | ९,७१२.५९ | २८,१७६.६३ | ४१,३१४.३४ | १३,१३७.७० | २८५७१.९२ | ३९०३१.१४ | १०४५९.२३ |
| सार्वजनिक सेवा | १,८७७.९५ | १,८१०.५२ | (६७.४३) | १,९४३.७७ | २,०१२.३६ | ६८.५९ | २०२८.०१ | २१२७.९२ | ९९.९१ |
| रेल्वे | १०७.७७ | १०१.९१ | (५.८६) | १११.१५ | १३३.२१ | २२.०६ | ११४.६४ | १४६.७४ | ३२.१ |
| विद्युत वाहने चार्जिंग स्टेशन | ५४.६८ | ५९.५४ | ४.८६ | ६०.१५ | १००.२२ | ४०.०७ | ६६.१७ | १२२.९९ | ५६.८३ |
| इतर | ८३२.३९ | ७९७.०९ | (३५.३) | ८७०.१४ | ६२५.५३ | (२४४.६) | ९११.२६ | ७७९.४६ | (१३१.८०) |
| **एकुण वीज विक्री (वितरण फ्रंचायझी वगळून)** | **१,१६,७१९.००** | **१,२०,४४६.२७** | **३,७२७.२७** | **१,१९,२१७.३०** | **१,२९,०२६.२१** | **९,८०८.९१** | **१,२१,९७४.७६** | **१,३१,९७१.३२** | **९,९९६.५६** |
| **अधिक**: वितरण फ्रंचायझी क्षेत्रातील वीज विक्री | | | | | | | | | |
| अ. भिवंडी | ३,३६४.६२ | ३,५५५.०९ | १९०.४७ | ३,४२५.३८ | ३,५४१.६२ | ११६.२५ | ३,४९२.०० | ३,५८९.६३ | ९७.६३ |
| ब. मालेगाव | ७४१.३२ | ७८२.८८ | ४१.५६ | ७५४.२१ | ८३१.८८ | ७७.६७ | ७६७ | ८६२.३२ | ९५.३२ |
| क. ठाणे | ५४५.७६ | ५२२.४७ | (२३.२९) | ५५८.३२ | ५९०.०५ | ३१.७३ | ५७१ | ६१२.८४ | ४१.८४ |
| **वितरण फ्रंचायझीसह एकुण वीज विक्री** | १,२१,३७०.७० | १,२५,३०६.७१ | ३,९३६.०२ | १,२३,९५५.२० | १,३३,९८९.७६ | १०,०३४.५६ | १,२६,८०५.०० | १,३७,०३५.७९ | १०,२३०.७९ |
| **अधिक :** ओपन एक्सेस विजविक्री (पारंपारिक) | ४,६३१.०० | ४,३५३.६४ | (२७७.३६) | ४,८६३.०० | ४,५०५.९४ | (३५७.०६) | ५,१०६.०० | ४,०१९.०० | (१,०८७.००) |
| **अधिक :** ओपन एक्सेस विजविक्री (नुतनशील) | १,९८८.०० | १,९९२.१२ | ४.१२ | २,८२५.०० | ३,०७२.३६ | २४७.३६ | ३,८२६.०० | ३,७४४.०० | (८२.००) |
| **अधिक:** सौर ऑफसेट युनिट्स | ० | १५९.६५ | १५९.६५ | (०.३८) | २०२.६६ | २०३.०४ | (०.१३) | - | |
| **एकूण वीज विक्री** | **१,२७,९८९.७०** | **१,३१,८१२.१२** | **३,८३२.४३** | **१,३१,६४२.८२** | **१,४१,७७०.७३** | **१०,१२७.९०** | **१,३५,७३६.८७** | **१,४४,७९८.७९** | **९,०६१.९२** |

*# आ.व. २०२२-२३ ते आ.व. २०२४-२५ करीता उच्चदाब ग्राहकांसाठी केव्हीएएच आधारित वीज विक्री बहुवार्षिक याचिकेत समाविष्ट केली आहे.*

### तक्ता ३: आ. व. २०२२-२३, आ. व. २०२३-२४ व आ. व. २०२४-२५ साठी वीज खरेदी तपशिल

| तपशिल | | महानिर्मिती (MSPGCL) | केंद्रीय क्षेत्र (सेंट्रल सेक्टर) | आयपीपी | नुतनशील ऊर्जा स्रोत | अल्प मुदतीचा पुरवठा | एफबीएसएम /डीएसएम | पीजीसीआयएल शुल्क | इतर | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंजूर मात्रा (द.ल.यु.) | आ.व. २०२२-२३ | ६०,०२७ | ३४,२८२ | २७,९६५ | १९,८८२ | १,८२४ | २३ | - | १,३५० | १,४५,३५२ |
| | आ.व. २०२३-२४ | ५८,०८८ | ३१,८४७ | २३,४३७ | ३०,७६८ | - | - | - | १,३५० | १,४६,३८० |
| | आ.व. २०२४-२५* | ५६,८३९ | ३१,१९९ | २३,२२२ | ३५,३९९ | - | - | - | १,४६६ | १,४८,१२३ |
| प्रत्यक्ष मात्रा (द.ल.यु.) | आ.व. २०२२-२३ | ५३,३५१ | ४२,४९५ | ३५,०२० | २०,२६० | ४,०७४ | (१,५७१) | - | १,२९८ | १,५५,०९६ |
| | आ.व. २०२३-२४ | ५७,१४७ | ४४,२४२ | ३८,८२४ | १९,७८२ | ७,७२५ | (१,९६७) | - | १,०४४ | १,६६,९७० |
| | आ.व. २०२४-२५* | ५९,८३३ | ४६,०४१ | ३६,७६६ | २०,४५१ | २,५७९ | १,४०६ | - | १,३७० | १,६८,४४७ |
| मंजूर खर्च (रु.कोटी) | आ.व. २०२२-२३ | २६,१३९ | १४,१९३ | १४,५३३ | ९,१२२ | १,०७५ | २ | ३,६६२ | २७७ | ६९,०१२ |
| | आ.व. २०२३-२४ | २९,५६७ | १२,६१४ | १२,७८५ | १३,८१० | - | - | ३,८४५ | २७५ | ७२,६४५ |
| | आ.व. २०२४-२५* | २९,५७१ | १२,४८७ | १२,६८३ | १४,५४२ | - | - | ४,०३७ | ३१० | ७३,६२९ |
| प्रत्यक्ष खर्च (रु.कोटी) | आ.व. २०२२-२३ | २८,३१० | १८,६४१ | २२,२९१ | ८,९४६ | १,८०९ | (२१९) | ३,८०२ | २८१ | ८३,९३५ |
| | आ.व. २०२३-२४ | २९,११० | १८,२७३ | १९,३५६ | ८,६९७ | ४,३५७ | (२७२) | ३,५३९ | २१४ | ८४,८६७ |
| | आ.व. २०२४-२५* | ३२,२५० | १८,७०२ | १८,३५२ | ९,०२४ | १,६३८ | ४९७ | - | २८५ | ८०,७४७ |
| मंजूर दर (रु./युनिट) | आ.व. २०२२-२३ | ४.३५ | ४.१४ | ५.२० | ४.५९ | ५.८९ | ०.८३ | - | २.०५ | ४.७५ |
| | आ.व. २०२३-२४ | ५.०९ | ३.९६ | ५.४६ | ४.४९ | - | - | - | २.०४ | ४.९६ |
| | आ.व. २०२४-२५* | ५.२० | ४.०० | ५.४६ | ४.११ | - | - | - | २.११ | ४.९७ |
| प्रत्यक्ष दर (रु./ युनिट) | आ.व. २०२२-२३ | ५.३१ | ४.३९ | ६.३७ | ४.४२ | ४.४४ | १.४० | - | २.१६ | ५.४१ |
| | आ.व. २०२३-२४ | ५.०९ | ४.१३ | ४.९९ | ४.४० | ५.६४ | १.३९ | - | २.०५ | ५.०८ |
| | आ.व. २०२४-२५* | ५.३९ | ४.०६ | ४.९९ | ४.४१ | ६.३५ | ३.५३ | - | २.०८ | ४.७९ |

* अंदाजे

### तक्ता ४ : आ.व. २०२२-२३, आ.व. २०२३-२४ व आ.व. २०२४-२५ ची वितरण हानी

| तपशिल | आ.व. २०२२-२३ | | आ.व. २०२३-२४ | | आ.व. २०२४-२५ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मध्यावधी आढावा आदेश मंजूर | प्रत्यक्ष | मध्यावधी आढावा आदेश मंजूर | प्रत्यक्ष | मध्यावधी आढावा आदेश मंजूर | अंदाजे |
| वितरण हानी# (अतिउच्चदाब व ओपन एक्सेस यांची वीज विक्री वगळून (%)) | १४.००% | १६.४९% | १३.००% | १७.९५% | ११.९६% | १६.७१% |

*# वितरण हानी (अतिउच्चदाब व ओपन एक्सेस यांची वीज विक्री वगळून) (%)*

### तक्ता ५: वसूली कार्यक्षमता (%)

| अ.क्र. | तपशिल | आ.व. २०२२-२३ | आ.व. २०२३-२४ | आ.व. २०२४-२५ |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष | अंदाजे |
| | **उच्चदाब श्रेणी** | | | |
| १ | घरगुती | ११४% | १५२% | ११०% |
| २ | बिगर घरगुती | १०१% | १०१% | १०२% |
| ३ | औद्योगिक | १००% | १०६% | १०२% |
| ४ | कृषी | १२४% | १११% | १००% |
| ५ | इतर | ९९% | १०१% | १००% |
| | **एकूण (अ)** | **१०१%** | **१०५%** | **१०२%** |
| | **लघुदाब श्रेणी** | | | |
| १ | घरगुती | १०३% | १०३% | १०२% |
| २ | बिगर घरगुती | १०३% | १०३% | १०१% |
| ३ | औद्योगिक | १०३% | १०३% | १०२% |
| ४ | कृषी | ५०% | ४४% | ९५% |
| ५ | इतर | २३८% | ९३% | ९५% |
| | **एकूण (ब)** | **९६%** | **८९%** | **१००%** |
| | **एकूण (अ+ब)** | **९८%** | **९६%** | **१००%** |

### तक्ता ६ : आ.व. २०२२-२३, आ.व. २०२३-२४ व आ.व. २०२४-२५ चे भांडवलीकरण

(रु.कोटी मध्ये)

| तपशिल | आ.व. २०२२-२३ | | आ.व. २०२३-२४ | | आ.व. २०२४-२५ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर | प्रत्यक्ष | मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर | प्रत्यक्ष | मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर | अंदाजे |
| **भांडवलीकरण** | | | | | | |
| डीपीआर प्रकल्प | ३,४३१.४३ | २,६८३.२१ | ३,५५४.३० | ३,९५८.०७ | २,३६१.४६ | ११,६३९.७० |
| बिगर डीपीआर प्रकल्प | | | | | | |
| डीडीएफ / नॉन-डीडीएफ योजना | ४४.०० | ६००.२१ | - | ९१४.६३ | - | ९२८.८४ |
| इतर नॉन डीपीआर योजना | ५६.८९ | ३९.३१ | ६४.३४ | २६.३७ | २५.०८ | १०५.३६ |
| **एकुण** | ३,५३२.३२ | ३,३२२.७३ | ३,६१८.६४ | ४,८९९.०७ | २,३८६.५४ | १२,६७३.९० |

**ब) पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी अंदाजित एकुण महसुलाची आवश्यकता आणि वीजदर (आ.व. २०२५-२६, आ.व. २०२६-२७, आ.व. २०२७-२८, आ.व. २०२८-२९ व आ.व. २०२९-३०)**

### तक्ता ७ : पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी वितरण (वायर + पुरवठा) व्यवसायाकरिता एकूण महसुलाची आवश्यकता (आ.व. २०२५-२६, आ.व. २०२६-२७, आ.व. २०२७-२८, आ.व. २०२८-२९ व आ.व. २०२९-३०)

(रु.कोटी मध्ये)

| तपशिल | आ.व. २०२५-२६ | आ.व. २०२६-२७ | आ.व. २०२७-२८ | आ.व. २०२८-२९ | आ.व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित |
| वीज खरेदी खर्च | ९३,९५६.५० | १,०४,८७०.६८ | १,१२,५७७.९५ | १,१९,१४८.५५ | १,२४,७८९.५२ |
| संचलन व सूव्यवस्थेवरील खर्च | १२,५४९.८५ | १५,२८३.१२ | १७,५५६.०२ | १९,५४४.८८ | २१,३४४.५७ |
| घसारा खर्च | ३,९८७.६२ | ३,७२०.४२ | ३,४४६.५४ | ३,३३२.६८ | ३,१९०.५८ |
| कर्ज भांडवलावरील व्याज | १,२५९.८४ | १,७२५.२३ | १,८८९.७२ | १,८७४.५७ | १,७६०.७६ |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज | १९०.६२ | २३४.५० | २६१.०९ | २७३.९३ | २८०.४९ |
| ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | १,००६.०८ | १,१०६.६८ | १,२१७.३५ | १,३३९.०९ | १,४७३.०० |
| इतर वित्तीय आकार | - | - | - | - | - |
| बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद | १,१०२.८९ | १,१४९.९७ | १,१९९.३३ | १,२५१.०७ | १,३०५.३२ |
| अन्य खर्च | ३०४.९८ | ३२०.२३ | ३३६.२४ | ३५३.०५ | ३७०.७० |
| प्राप्ती कर | - | - | - | - | - |
| पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार | ९,७७८.२४ | १०,१५५.८५ | ११,८६५.८४ | १३,२८८.८० | १४,४०७.५० |
| प्रोत्साहन/सवलत | ६१९.२० | ६५०.१६ | ६८२.६७ | ७१६.८० | ७५२.६४ |
| आकस्मिक राखीव निधीचे योगदान | २२९.९२ | २८८.७७ | ३३६.२९ | ३६१.६१ | ३८६.३७ |
| ओपेक्स योजना | १३७.५० | १३४.२६ | १३६.४३ | १३६.४३ | १३६.४३ |
| मागणी बाजू व्यवस्थापन (डीएसएम) खर्च | ४.५४ | | | | |
| भाग भांडवलावरील परतावा | २,७७६.२० | ३,२३४.९१ | ३,४८४.९९ | ३,५७१.०२ | ३,६४५.७४ |
| नियामक दायित्व आकाराचा परतावा | १६.६८ | १६.६८ | १६.६८ | १६.६८ | १६.६८ |
| अतिरिक्त अधिभार परतावा | १६८.१३ | १६८.१३ | १४५.२४ | - | - |
| नफा/तोटा वितरणाचा परिणाम खर्च | - | - | - | - | - |
| आयोगाद्वारे मागील कालावधीसाठीचे मंजूर समायोजन | | | | | |
| मंजूर मागील महसूली तुट | | | | | |
| **अधिक:** पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम | | | | | |
| वाढीव आणि ठोक वापरावरील सूट | १,१३६.०२ | १,१९२.८२ | १,२५२.४६ | १,३१५.०८ | १,३८०.८३ |
| एसटीयू शुल्क | ७.४२ | ७.८२ | ७.९३ | ८.११ | ८.१२ |
| **एकुण महसुली गरज** | **१,२९,२२७.६६** | **१,४४,२६०.२२** | **१,५६,४१२.७६** | **१,६६,५३२.३४** | **१,७५,२४९.२६** |
| वीज विक्रीतुन मिळणारा एकुण महसूल | १,३४,२७६.८९ | १,४१,५००.३३ | १,४८,२५४.९५ | १,५४,८६६.३७ | १,६१,४७१.२१ |
| वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न (नॉन-टॅरिफ) | ५५६.६८ | ५८४.५१ | ६१३.७३ | ६४४.४२ | ६७६.६४ |
| ओपन ॲक्सेस चार्जेपासूनचे मिळणारा महसूल | ३२५.३५ | ३९०.१८ | ४६६.९८ | ५१०.५९ | ५६२.६५ |
| अतिरिक्त वीज विक्रीतुन मिळणारा महसूल | ७१०.८४ | ३,३४६.७७ | ३,६७६.७६ | ५,२९९.१६ | ७,०७४.०४ |
| वहन आकारातुन मिळणारा महसूल | | | | | |
| अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारा महसूल | ०.१४ | ०.१४ | ०.१५ | ०.१५ | ०.१६ |
| **एकूण महसूल** | **१,३५,८६९.८९** | **१,४५,८२१.९३** | **१,५३,०१२.५८** | **१,६१,३१०.६९** | **१,६९,७८४.७०** |
| **महसूलातील तुट/ (अधिक्य)** | **(६,६४२.२३)** | **(१,५६१.७१)** | **३,४००.१८** | **५,२११.६६** | **५,४६४.५६** |

### तक्ता ८: पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी प्रस्तावित वीज विक्री (आ.व. २०२५-२६, आ.व. २०२६-२७, आ.व. २०२७-२८, आ.व. २०२८-२९ व आ.व. २०२९-३०)

(द.ल.यु.#)

| वर्गवारी | आ.व. २०२५-२६ | आ.व. २०२६-२७ | आ.व. २०२७-२८ | आ.व. २०२८-२९ | आ.व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित |
| उच्चदाब- १ औद्योगिक | ४३,५९४ | ४५,९७४ | ४८,३३४ | ५०,७५१ | ५३,२४६ |
| उच्चदाब -२ वाणिज्यिक | २,०६० | २,१३२ | २,१६८ | २,१९० | २,१९३ |
| उच्चदाब -३ रेल्वे | १३९ | १४२ | १४५ | १४८ | १५१ |
| उच्चदाब -४ सार्वजनिक पाणी पुरवठा | २,०१२ | २,०९२ | २,१७३ | २,२५४ | २,३३६ |
| उच्चदाब -५ कृषी | २,०११ | २,११४ | २,२०६ | २,२९१ | २,३८१ |
| उच्चदाब -६ एकगठ्ठा पुरवठा (गृहनिर्माण संकुल) | २४० | २५१ | २६० | २६८ | २७५ |
| उच्चदाब -८ सार्वजनिक सेवा | १,२४५ | १,२६५ | १,२८७ | १,३०९ | १,३३२ |
| महानिर्मिती सहाय्यकारी पुरवठा | ३५७ | ३६५ | ३७३ | ३८० | ३८८ |
| उच्चदाब -९ विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन | ९९८ | १,६०६ | २,४१४ | ३,५७४ | ५,११६ |
| **एकूण -उच्चदाब विक्री** | **५२,६५६** | **५५,९४१** | **५९,३५९** | **६३,१६६** | **६७,४१८** |
| लघुदाब -१ (घरगुती) दारिद्र्य रेषेखालील | ३८ | ४० | ४२ | ४४ | ४६ |
| लघुदाब -१ घरगुती | २८,७१५ | ३०,३२४ | ३१,६८६ | ३२,८०४ | ३३,६९२ |
| लघुदाब -२ बिगर घरगुती | ८,०३५ | ८,५३५ | ८,८६८ | ९,१३२ | ९,३३० |
| लघुदाब -३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा | ९९९ | १,०३४ | १,०७० | १,१०५ | १,१४१ |
| लघुदाब -४ कृषी | ३८,०७६ | ३८,४७० | ३८,७८४ | ३९,०४३ | ३९,८३७ |
| लघुदाब -५ यंत्रमाग | २,१३५ | २,१७८ | २,२२१ | २,२६६ | २,३११ |
| लघुदाब -५ औद्योगिक सामान्य | ११,४१५ | १२,९४९ | १४,४८३ | १६,०४८ | १७,६६८ |
| लघुदाब -६ पथदिवे | १,१३२ | १,१५८ | १,१८३ | १,२०८ | १,२३४ |
| लघुदाब -७ सार्वजनिक सेवा | ८३६ | ८५४ | ८७२ | ८९० | ९०७ |
| लघुदाब -८ वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन | २३४ | ३८६ | ५८७ | ८७७ | १,२६२ |
| एकूण लघुदाब विक्री | ९१,६१६ | ९५,९२८ | ९९,७९६ | १,०३,४१७ | १,०७,४२७ |
| **महावितरणकडून वीज विक्री (वितरण फ्रँचायझी वगळून)** | **१,४४,२७१** | **१,५१,८६९** | **१,५९,१५५** | **१,६६,५८३** | **१,७४,८४६** |
| अधिक: **वितरण फ्रँचायझी** क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय विजविक्री (भिवंडी) | ३,६३९ | ३,६९१ | ३,७४५ | ३,८०१ | ३,८५९ |
| अधिक: **वितरण फ्रँचायझी** क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय विजविक्री (मालेगाव) | ८९४ | ९२७ | ९६१ | ९९७ | १,०३४ |
| अधिक: **वितरण फ्रँचायझी** क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय विज विक्री (ठाणे) | ६३७ | ६६१ | ६८७ | ७१४ | ७४२ |
| **वितरण फ्रँचायझीसह** ऊर्जा विक्री | **१,४९,४४१** | **१,५७,१४८** | **१,६४,५४९** | **१,७२,०९४** | **१,८०,४८१** |
| अधिक: ओपन एक्सेस विक्री (पारंपारिक) | ४,०२६ | ४,०३४ | ४,०४२ | ४,०४९ | ४,०५७ |
| अधिक: ओपन एक्सेस विक्री (अपारंपारिक) | ४,९४१ | ६,१९६ | ७,३१३ | ८,३३२ | ९,१५४ |
| **एकूण ऊर्जा विक्री** | **१,५८,४०८** | **१,६७,३७९** | **१,७५,९०४** | **१,८४,४७५** | **१,९३,६९२** |

# उच्चदाब ग्राहकांसाठी केव्हीएएच आधारित वीज विक्री बहुवार्षिक याचिकेत नमुद करण्यात आली आहे.

**(उर्वरीत जाहीरात पुढील पानावर)**

क. संसाधन पर्याप्तता आराखडा

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग संसाधन पर्याप्तता विनियमाच्या अनुषंगाने आणि मा. आयोगाच्या निर्देशानुसार, महावितरणने संसाधन पर्याप्तता आराखडा (संसाधन पर्याप्तता योजना - दीर्घकालीन, मध्यम मुदतीचे, अल्पकालीन) सादर केला आहे. संसाधन पर्याप्तता योजनेच्या आधारे महावितरणने पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी वीज खरेदीचा तपशील दिला आहे.

**तक्ता ९ : पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी प्रस्तावित वीज खरेदी तपशील**
**(आ. व. २०२५-२६, आ. व. २०२६-२७, आ. व. २०२७-२८, आ. व. २०२८-२९ व आ. व. २०२९-३०)**

| तपशिल | | महानिर्मिती (MSPGCL) | केंद्रीय क्षेत्र (सेंट्रल सेक्टर) | आयपीपी | नुतनशील ऊर्जा स्रोत | अल्प मुदतीचा पुरवठा | डीएसम | पीजीसीआयएल शुल्क | इतर | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुमानित मात्रा (द.ल.यु.) | आ.व. २०२५-२६ | ५६३२० | ४५००८ | ४०३२० | ४४५५८ | १००८ | | ० | (१०११) | १८६२०३ |
| | आ.व. २०२६-२७ | ५२२८७ | ४११६८ | ३९६३७ | ८५०८० | ० | | ० | ० | २१८१७२ |
| | आ.व. २०२७-२८ | ५३४५१ | ४१२०२ | ३८७५८ | ९५९७६ | ० | | ० | ० | २२९३८७ |
| | आ.व. २०२८-२९ | ५१४७२ | ४२२७३ | ४३२५८ | १०१०६० | ० | | ० | ० | २३८०६३ |
| | आ.व. २०२९-३० | ४६४३१ | ४७५१७ | ४८३३० | १०१०५९ | ० | | ० | ० | २४३३३७ |
| अनुमानित खर्च (रुपये कोटीमध्ये) | आ.व. २०२५-२६ | ३५१५७ | १८६०७ | १९४०२ | १६२२८ | ६६१ | | ३९०२ | ० | ९३९५७ |
| | आ.व. २०२६-२७ | ३४०७१ | १८४९७ | १८८४३ | २९३६३ | ० | | ४०९७ | ० | १०४८७१ |
| | आ.व. २०२७-२८ | ३७१२९ | १९१९४ | १९४३१ | ३२५२२ | ० | | ४३०२ | ० | ११२५७८ |
| | आ.व. २०२८-२९ | ३६६६२ | १९७६० | २२५५२ | ३५६५८ | ० | | ४५१७ | ० | ११९१४९ |
| | आ.व. २०२९-३० | ३४११५ | २२९९९ | २५७४० | ३७१९२ | ० | | ४७४३ | ० | १२४७८९ |
| अनुमानित वीज दर रु./युनिट) | आ.व. २०२५-२६ | ६.२४ | ४.१३ | ४.८१ | ३.६४ | ६.५६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५.०५ |
| | आ.व. २०२६-२७ | ६.५२ | ४.४९ | ४.७५ | ३.४५ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४.८१ |
| | आ.व. २०२७-२८ | ६.९५ | ४.६६ | ५.०१ | ३.३९ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४.९१ |
| | आ.व. २०२८-२९ | ७.१२ | ४.६७ | ५.२१ | ३.५३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५.०० |
| | आ.व. २०२९-३० | ७.३५ | ४.८४ | ५.३३ | ३.६८ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५.१३ |

**तक्ता १०: आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० साठीचे प्रस्तावित कार्यशील मापदंड**

| तपशिल | आ.व. २०२५-२६ | आ.व. २०२६-२७ | आ.व. २०२७-२८ | आ.व. २०२८-२९ | आ.व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित |
| वितरण हानी (अतिउच्चदाब व ओपन एक्सेस यांची वीज विक्री वगळून) (%) | १५.०६% | १४.९८% | १४.७८% | १४.५४% | १४.३०% |
| वसुली कार्यक्षमता (%) | १००% | १००% | १००% | १००% | १००% |
| एकूण तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी (AT&C) (%) | १५.०६% | १४.९८% | १४.७८% | १४.५४% | १४.३०% |
| प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या कालावधीचा निर्देशांक (SAIDI) | ९९.१६ | ९६.१८ | ९३.३० | ९०.५० | ८७.७८ |
| प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (SAIFI) | १.०६ | १.०३ | १.०० | ०.९७ | ०.९४ |

**तक्ता ११: पाचव्या नियंत्रण कालावधीचे प्रस्तावित भांडवल** (रु.कोटी मध्ये)

| तपशिल | आ.व. २०२५-२६ | आ.व. २०२६-२७ | आ.व. २०२७-२८ | आ.व. २०२८-२९ | आ.व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित |
| भांडवली खर्च | २३,०१६.३२ | १७,५०८.०१ | ९,३३९.०१ | ९,५३४.९२ | ३,४७२.९७ |
| भांडवलीकरण | २३,४५४.७५ | १८,९१३.४३ | १०,०२३.९४ | ९,७९१.७८ | ४,२९४.७४ |

**तक्ता १२: एकूण महसुली तफावत (वायर + पुरवठा)**

(रु.कोटी मध्ये)

| तपशिल | एकूण |
|---|---|
| आ.व. २०२२-२३ च्या अंतिम अचूक समायोजनापोटी महसुलाची गरज | २३,२६९ |
| आ.व. २०२३-२४ च्या अंतिम अचूक समायोजनापोटी महसूलाची गरज | ८,८६३ |
| आ.व. २०२४-२५ च्या तात्पुरत्या समायोजनापोटी महसुलाची गरज | ९५८ |
| आ.व. २०२५-२६ करिताची प्रस्तावित महसुली तूट | (६,६४२) |
| आ.व. २०२६-२७ करिताची प्रस्तावित महसुली तूट | (१,५६२) |
| आ.व. २०२७-२८ करिताची प्रस्तावित महसुली तूट | ३,४०० |
| आ.व. २०२८-२९ करिताची प्रस्तावित महसुली तूट | ५,२१२ |
| आ.व. २०२९-३० करिताची प्रस्तावित महसुली तूट | ५,४६५ |
| पुनर्विचार आदेशाचा परिणाम | ३९८ |
| **बहुवार्षिक (एमवायटी) कालावधीसाठी एकूण महसुली तूट** | **३९,३६१** |
| मागील महसूली तुटीशी संलग्न येणे असलेले व्याज (कॅरींग कॉस्ट) / परिणाम आणि नियंत्रण कालावधीतील वसूल न झालेली महसूली तूट | ८,६९९ |
| **वीजदराद्वारे नक्त वसुली** | **४८,०६०** |
| बहुवार्षिक कालावधीतील महसूली तूट | ५,८७२ |
| बहुवार्षिक कालावधी वगळून महसूली तूट | ४२,१८७ |

**तक्ता १३ : पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी प्रस्तावित महसूल वसुली** (रु.कोटी मध्ये)

| तपशिल | आ.व. २०२५-२६ | आ.व. २०२६-२७ | आ.व. २०२७-२८ | आ.व. २०२८-२९ | आ.व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|
| सध्याच्या दरानुसार वसुली (कोटी रुपये) | १,३४,२७७ | १,४१,५०० | १,४८,२५५ | १,५४,८६६ | १,६१,४७१ |
| प्रस्तावित दरानुसार महसूल (कोटी रुपये) | १,४३,०२३ | १,५५,०९७ | १,६३,२३२ | १,६०,०५८ | १,६६,९७५ |
| महसूल वसुली (कोटी रुपये) | १४३,०३३ | १५५,१२६ | १६३,२५७ | १६०,०७८ | १६६,९३६ |
| वीज विक्री (द.ल.यु.)# | १,५१,४१९ | १,५९,१७५ | १,६६,६२४ | १,७४,१६६ | १,८२,६७० |
| सरासरी देयक दर | ९.४५ | ९.७५ | ९.८० | ९.१९ | ९.१४ |

# उच्चदाब श्रेणींसाठी एमकेव्हीएएच आणि सर्व लघुदाब ग्राहक श्रेणींसाठी दलयुमध्ये वीज विक्री

**तक्ता १४ : सरासरी वीज पुरवठा दरातील सरासरी टक्केवारी वाढ/ घट**

| तपशिल / (रु./युनिट) | विद्यमान (२०२४-२५) | आ.व. २०२५-२६ | आ.व. २०२६-२७ | आ.व. २०२७-२८ | आ.व. २०२८-२९ | आ.व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **एकुण सरासरी वीज विक्री दर** | ९.४५ | ९.४५ | ९.७५ | ९.८० | ९.१९ | ९.१४ |
| **% प्रति वर्ष वाढ/(घट)** | | ०.०% | ३.१७% | ०.५४% | (६.१९%) | (०.५७%) |

## ख) कृषी व बिगर कृषी वीज पुरवठा विलगीकरण

मध्यावधी आढावा याचिकेवरच्या (प्रकरण क्र. २२६/२०२२) (एमटीआर) आदेशात दिलेल्या निर्देशांनुसार महावितरणने सदर याचिकेद्वारे (प्रकरण क्र. २१७/२०२४) कृषी व बिगर कृषी वीज पुरवठा विलगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रत्यक्ष विलगीकरणाविषयीची लागणारी तयारी बहुवर्षीय याचिकेत अधोरेखीत केलेली आहे. त्यानुसार महावितरणने (नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत) विलगीकरणाची पूर्वतयारी (पुर्ण करण्याची) प्रस्तावित केली आहे. तथापि, महावितरणने सदर याचिकेत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून कृषी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र वीज पुरवठा दर प्रस्तावित केला आहे.

**तक्ता १५: आ. व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंतचे प्रस्तावित एकुण महसुलाची गरज (विलगीकृत कृषी व बिगर कृषी वर्गवारीसाठी)**

(रु.कोटी मध्ये)

| तपशिल | आ. व. २०२५-२६ | | आ. व. २०२६-२७ | | आ. व. २०२७-२८ | | आ.व. २०२८-२९ | | आ. व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लघुदाब ४ कृषी | बिगर कृषी | लघुदाब ४ कृषी | बिगर कृषी | लघुदाब ४ कृषी | बिगर कृषी | लघुदाब ४ कृषी | बिगर कृषी | लघुदाब ४ कृषी | बिगर कृषी |
| वीज खरेदी खर्च | १३,३९०.२७ | ८०,५६६.२२ | १२,८५२.०७ | ९२,०१८.६१ | १२,९३३.१४ | ९९,६४४.८१ | १३,००७.९८ | १,०६,१४०.५७ | १३,२४१.८५ | १,११,५४७.६८ |
| संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च | ५८०.५२ | ११,९६९.३३ | ६२८.०१ | १४,६५५.११ | ६७२.३४ | १६,८८३.६८ | ७१५.८१ | १८,८२९.०७ | ७५८.२६ | २०,५८६.३१ |
| घसारा खर्च | ५९.६६ | ३,९२७.९६ | ५४.६६ | ३,६६५.७५ | ४९.७३ | ३,३९६.८१ | ४७.२२ | ३,२८५.४७ | ४४.३८ | ३,१४६.२० |
| कर्ज भांडवलावरील व्याज | १८.८५ | १,२४०.९९ | २५.३५ | १,६९९.८८ | २७.२७ | १,८६२.४६ | २६.५६ | १,८४८.०१ | २४.४९ | १,७३६.२७ |
| खेळत्या भांडलावरील व्याज | १९.२८ | १७१.३४ | ४.१७ | २३०.३३ | - | २६१.०९ | - | २७३.९३ | - | २८०.४९ |
| ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ६५.०८ | ९४१.०० | ७१.५८ | १,०३५.१० | ७८.७४ | १,१३८.६१ | ८६.६२ | १,२५२.४७ | ९५.२८ | १,३७७.७२ |
| इतर वित्तीय आकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| बुडीत व साशंक रकमेसाठीची तरतुद | ९४५.६१ | १५७.२८ | ९९८.६३ | १५१.३४ | १,०५५.४४ | १४३.८९ | १,११६.३३ | १३४.७३ | १,१८१.६६ | १२३.६६ |
| अन्य खर्च | ४६.२२ | २५८.७६ | ४४.६४ | २७५.५९ | ४२.६३ | २९३.६१ | ३६.२६ | ३१६.७९ | ३७.०९ | ३३३.६१ |
| भाग भांडवलावरील परतावा | ४६.७७ | २,७२९.४३ | ५३.४४ | ३,१८१.४७ | ५६.५० | ३,४२८.४९ | ५६.८४ | ३,५१४.१८ | ५६.९७ | ३,५८८.७८ |
| इतर घटक | - | १२,०९३.१० | - | १२,६१४.४८ | - | १४,४४३.५३ | - | १५,८४३.५१ | - | १७,०८८.५८ |
| **एकुण महसूली गरज** | **१५,१७२.२५** | **१,१४,०५५.४१** | **१४,७३२.५६** | **१,२९,५२७.६५** | **१४,९१५.७८** | **१,४१,४९६.९८** | **१५,०९३.६१** | **१,५१,४३८.७३** | **१५,४३९.९७** | **१,५९,८०९.२८** |
| मागील कालावधीतील कॅरिंग कॉस्टची वसुली | ४,०६३.९६ | ११,३३४.४८ | ३,८४७.१७ | ११,३४०.३३ | २,८२७.१४ | ८,७७४.४२ | - | - | - | - |
| **एकुण महसूल** | **१९,२३६.१८** | **१,२५,३८९.९२** | **१८,५७९.७१** | **१,४०,८६८.०१** | **१७,७४२.९२** | **१,५०,२७१.४०** | **१५,०९३.६१** | **१,५१,४३८.७३** | **१५,४३९.९७** | **१,५९,८०९.२८** |
| वजा -इतर उत्पन्न | - | १,५९३.०० | - | ४,३२१.६० | - | ४,७५७.६३ | - | ६,४५४.३२ | - | ८,३१३.४९ |
| **निव्वळ महसूलीची गरज** | **१९,२३६.१८** | **१,२३,७६९.९२** | **१८,५७९.७१** | **१,३६,५४६.४१** | **१७,७४२.९२** | **१,४५,५१३.७७** | **१५,०९३.६१** | **१,४४,९८४.४१** | **१५,४३९.९७** | **१,५१,४९५.७९** |

**तक्ता १६ : आर्थिक वर्ष २०२५-२६करीता लघुदाब कृषी आणि इतर वर्गवारीसाठीचा सरासरी पुरवठा दर**

| तपशिल | विलगीकरणापुर्वी | विलगीकरणानंतर | |
|---|---|---|---|
| | महावितरण एकुण | महावितरण (लघुदाब कृषी वगळून)) | लघुदाब कृषी |
| वीज खरेदी खर्च (रु. कोटी) | ९३,९५६.५० | ८०,५६६.२२ | १३,३९०.२७ |
| उर्जेची गरज (दशलक्ष युनिट) | १,८६,२०३.१५ | १,४३,८९६.३९ | ४२,३०६.७७ |
| **वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **५.०५** | **५.६०** | **३.१७** |
| एकूण महसुली गरज (रु. कोटी) | १४३,०३३ | १२३,७९७ | १९,२३६ |
| वीज विक्री (दशलक्ष युनिट) | १,५१,४१८.८० | १,१३,३४२.७१ | ३८,०७६.०९ |
| **सरासरी पुरवठा आकार (रु./युनिट)** | **९.४५** | **१०.९२** | **५.०५** |
| अतिरिक्त वीज विक्रीतून मिळणारा महसुल (रु.कोटी) | ७१०.८४ | ७१०.८४ | - |
| एकुण वीज खरेदी खर्च सुधारीत | ९३,२४५.६६ | ७९,८५५.३८ | १३,३९०.२७ |
| **सरासरी वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **५.०१** | **५.५५** | **३.१७** |

**तक्ता १७ : आर्थिक वर्ष २०२६-२७ करीता लघुदाब कृषी आणि इतर वर्गवारीसाठीचा सरासरी पुरवठा दर**

| तपशिल | विलगीकरणापुर्वी | विलगीकरणानंतर | |
|---|---|---|---|
| | महावितरण एकुण | महावितरण (लघुदाब कृषी वगळून ) | लघुदाब कृषी |
| वीज खरेदी खर्च (रु. कोटी) | १,०४,८७०.६८ | ९२,०१८.६१ | १२,८५२.०७ |
| उर्जेची गरज (दशलक्ष युनिट) | २,१८,१७१.५७ | १,७५,४२६.९६ | ४२,७४४.६१ |
| **वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **४.८१** | **५.२५** | **३.०१** |
| एकूण महसुली गरज (रु. कोटी) | १,५५,१२६ | १,३६,५४६ | १८,५८० |
| वीज विक्री (दशलक्ष युनिट) | १,५९,१७४.५९ | १,२०,७०४.४५ | ३८,४७०.१५ |
| **सरासरी पुरवठा आकार (रु./युनिट)** | **९.७५** | **११.३१** | **४.८३** |
| अतिरिक्त वीज विक्रीतून मिळणारा महसुल (रु.कोटी) | ३,३४६.७७ | ३,३४६.७७ | - |
| एकुण वीज खरेदी खर्च सुधारीत | १०१,५२३.९१ | ८८,६७१.८४ | १२,८५२.०७ |
| **सरासरी वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **४.६५** | **५.०५** | **३.०१** |

**तक्ता १८ : आर्थिक वर्ष २०२७-२८ करीता लघुदाब कृषी आणि इतर वर्गवारीसाठीचा सरासरी पुरवठा दर**

| तपशिल | विलगीकरणापुर्वी | विलगीकरणानंतर | |
|---|---|---|---|
| | महावितरण एकुण | महावितरण (लघुदाब कृषी वगळून ) | लघुदाब कृषी |
| वीज खरेदी खर्च (रु. कोटी) | १,१२,५७७.९५ | ९९,६४४.८१ | १२,९३३.१४ |
| उर्जेची गरज (दशलक्ष युनिट) | २,२९,३८६.८९ | १,८६,२९३.७३ | ४३,०९३.१६ |
| **वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **४.९१** | **५.३५** | **३.००** |
| एकूण महसुली गरज (रु. कोटी) | १,६३,२५७ | १,४५,५१४ | १७,७४३ |
| वीज विक्री (दशलक्ष युनिट) | १,६६,६२४.४६ | १,२७,८४०.६१ | ३८,७८३.८४ |
| **सरासरी पुरवठा आकार (रु./युनिट)** | **९.८०** | **११.३८** | **४.५७** |
| अतिरिक्त वीज विक्रीतून मिळणारा महसुल (रु.कोटी) | ३,६७६.७६ | ३,६७६.७६ | - |
| एकुण वीज खरेदी खर्च सुधारीत | १०८,९०१.१९ | ९५,९६८.०५ | १२,९३३.१४ |
| **सरासरी वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **४.७५** | **५.१५** | **३.००** |

**तक्ता १९ : आर्थिक वर्ष २०२८-२९ करीता लघुदाब कृषी आणि इतर वर्गवारीसाठीचा सरासरी पुरवठा दर**

| तपशिल | विलगीकरणापुर्वी | विलगीकरणानंतर | |
|---|---|---|---|
| | महावितरण एकुण | महावितरण (लघुदाब कृषी वगळून ) | लघुदाब कृषी |
| वीज खरेदी खर्च (रु. कोटी) | १,१९,१४८.५५ | १,०६,१४०.५७ | १३,००७.९८ |
| उर्जेची गरज (दशलक्ष युनिट) | २,३८,०६३.३५ | १,९४,६८२.३३ | ४३,३८१.०२ |
| **वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **५.००** | **५.४५** | **३.००** |
| एकूण महसुली गरज (रु. कोटी) | १,६०,०७८ | १,४४,९८४ | १५,०९४ |
| वीज विक्री (दशलक्ष युनिट) | १,७४,१६६.३६ | १,३५,१२३.४५ | ३९,०४२.९२ |
| **सरासरी पुरवठा आकार (रु./युनिट)** | **९.१९** | **१०.७३** | **३.८७** |
| अतिरिक्त वीज विक्रीतून मिळणारा महसुल (रु.कोटी) | ५,२९९.१६ | ५,२९९.१६ | - |
| एकुण वीज खरेदी खर्च सुधारीत | १,१३,८४९.४० | १,००,८४१.४२ | १३,००७.९८ |
| **सरासरी वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **४.७८** | **५.१८** | **३.००** |

**तक्ता २० : आर्थिक वर्ष २०२९-३० करीता लघुदाब कृषी आणि इतर वर्गवारीसाठीचा सरासरी पुरवठा दर**

| तपशिल | विलगीकरणापुर्वी | विलगीकरणानंतर | |
|---|---|---|---|
| | महावितरण एकुण | महावितरण (लघुदाब कृषी वगळून ) | लघुदाब कृषी |
| वीज खरेदी खर्च (रु. कोटी) | १,२४,७८९.५२ | १,११,५४७.६८ | १३,२४१.८५ |
| उर्जेची गरज (दशलक्ष युनिट) | २,४३,३३७.३२ | १,९९,०७३.५० | ४४,२६३.८२ |
| **वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **५.१३** | **५.६०** | **२.९९** |
| एकूण महसुली गरज (रु. कोटी) | १,६६,९३६ | १,५१,४९६ | १५,४४० |
| वीज विक्री (दशलक्ष युनिट) | १,८२,६६९.८६ | १,४२,८३२.४२ | ३९,८३७.४४ |
| **सरासरी पुरवठा आकार (रु./युनिट)** | **९.१४** | **१०.६१** | **३.८८** |
| अतिरिक्त वीज विक्रीतून मिळणारा महसुल (रु.कोटी) | ७,०७४.०४ | ७,०७४.०४ | - |
| एकुण वीज खरेदी खर्च सुधारीत | १,१७,७१५.४८ | १,०४,४७३.६४ | १३,२४१.८५ |
| **सरासरी वीज खरेदी खर्च (रु./युनिट)** | **४.८४** | **५.२५** | **२.९९** |

ग) महावितरणने प्रस्तावित केलेली लघुदाब कृषी वीज विक्री व उर्जा संतुलन पद्धत हे मा. आयोगाने जारी केलेल्या प्रकरण क्र. ३२२/२०१९ च्या बहुवर्षिय वीजदर आदेश व प्रकरण क्र. २२६/२०२२ च्या मध्यावधी आढावा आदेशात दिलेली पद्धतीशी (methodology) मिळती-जुळती नसल्यामुळे त्याचा प्रभाव प्रस्तावित एकूण वीज विक्री व वितरण हानी वर येत आहे.

## घ) वीज दराची तत्वप्रणाली :

महावितरणने प्रस्तावित केलेली वीजदर संरचना ही पुढील तत्वांवर आधारीत आहे:

- स्थिर आकाराद्वारे स्थिर खर्चाची परिपुर्तता करण्यासाठी स्थिर आकाराचे सुसूत्रीकरण.
- २० केडब्ल्यु (kW) च्यावरील जोडभार असणाऱ्या लघुदाब ग्राहकांसाठी केव्हिएएच (kVAh) वर आधारित बिलींगची प्रस्तावना.
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) व गृहीत (डीम्ड) परवानाधारकांसाठी आपातकालीन उपाय व्यवस्था (स्टँडबाय) आकारात सुधारणा.
- एका पाळीच्या उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना सौर तासांदरम्यान स्थिर आकारामध्ये सवलत.
- छपरावरील नुतनशील (सौर) उर्जानिर्मिती यंत्रणा वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांकरीता सुधारित बिलींग पध्दती.
- पुरवठयाच्या अनेक स्त्रोतांचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांकरीता अतिरिक्त स्थिर / मागणी आकार.
- शासनद्वारे जारी केलेले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगच्या प्रतिस्थापना व संचालन पायाभूत संरचनेसाठी मार्गदर्शक तत्वानुसार लघुदाब आणि उच्चदाब विद्युत वाहने (EV) चार्जिंग स्टेशनांसाठी एकल खंड दरांची (सिंगल पार्ट टॅरिफ) ची प्रस्तावना.
- मा. आयोगाने, महावितरणच्या मध्यावधी आढावा याचिका (प्रकरण क्र. २२६/२०२२) वरील आदेशाद्वारे मंजूर केलेले प्रोत्साहन आणि सवलती कायम ठेवण्याचे प्रस्तावित.
- नुतनशील उर्जा निर्मिती उत्पादकांना व मुक्त प्रवेश ग्राहकांना वाढीव रिॲक्टीव आकार.
- उच्चदाब तसेच लघुदाब वर्गवारीतील ग्राहकांच्या बिलींग मागणीची सुधारित व्याख्या.

## ज) वीजदर प्रस्ताव

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आ. व. २०२९-३० पर्यंतच्या नियंत्रण कालावधीकरीता एकुण महसूलाची तफावत भरुन काढण्याकरीता महावितरणने सदर याचिकेत सुधारीत स्थिर व वीज आकार प्रस्तावित केले आहे. देश पातळीवर असणाऱ्या महागाई निर्देशांक तसेच वीज खरेदी खर्चातील वाढ, देशांतर्गत कोळशाच्या तुटवडयामुळे होणारे आयात कोळश्याचे मिश्रण (Coal blending) कायद्यातील बदलांमुळे होणारे खर्च, महानिर्मिती आणि पी.जी.सी.आय.एल. च्या खर्चात वाढ, एन.पी.सी.आय.एल. च्या वीजदरांतील सुधारणा, ग्राहक वर्गवारी निहाय वापरातील बदल व त्याप्रमाणे महसूलावर होणारा परिणाम इ. कारणांमुळे होणाऱ्या वाढीव खर्चाची पुर्तता करण्यासाठी महावितरणकडुन विविध वर्गवारीकरीता सुधारित वीजदर प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

**तक्ता २१ : आ. व. २०२५-२६ ते आ. व. २०२९-३० पर्यंतचे प्रस्तावित केलेले वहन आकार**

| तपशिल | विद्युतदाब पातळी | एकक | आ.व. २०२५-२६ | आ.व. २०२६-२७ | आ.व. २०२७-२८ | आ.व. २०२८-२९ | आ.व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वहन आकार | उच्चदाब | रु/के.व्ही.ए.एच | ०.७६ | ०.८३ | ०.८६ | ०.८८ | ०.८७ |
| | लघुदाब | रु/के.डब्ल्यु.एच.) | १.४६ | १.६० | १.६७ | १.७१ | १.७१ |
| वहन हानी | उच्चदाब | % | ७.५०% | ७.५०% | ७.५०% | ७.५०% | ७.५०% |
| | लघुदाब | % | १२.००% | १२.००% | १२.००% | १२.००% | १२.००% |

**१. आ.व. २०२५-२६ ते २०२९-३० पर्यंतचे प्रस्तावित केलेले वर्गवारी निहाय वीजदर**

**तक्ता २२ : उच्चदाब वर्गवारी : उपवर्गवारी निहाय विद्यमान व प्रस्तावित वीजदर (वहन आकार वगळून) (रु./के.व्ही.ए.एच )**

| तपशिल | विद्यमान विज आकार इंधन समायोजन आकारासह (रु./ के.व्ही.ए.एच ) | आ.व. २०२५-२६ | | आ.व. २०२६-२७ | | आ.व. २०२७-२८ | | आ.व. २०२८-२९ | | आ.व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट |
| **उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ८.९९ | ८.७१ | (३.१८)% | ८.८५ | १.६७% | ८.७८ | (०.८२)% | ८.१० | (७.७३)% | ७.९७ | (१.६५)% |
| अतिउच्चदाब | ८.९८ | ८.७१ | (३.००)% | ८.८५ | १.६७% | ८.७८ | (०.८२)% | ८.१० | (७.७३)% | ७.९७ | (१.६५)% |
| **उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ९.४५ | ८.७१ | (७.८३)% | ८.८५ | १.६७% | ८.७८ | (०.८२)% | ८.१० | (७.७३)% | ७.९७ | (१.६५)% |
| अतिउच्चदाब | ९.३० | ८.७१ | (६.३४)% | ८.८५ | १.६७% | ८.७८ | (०.८२)% | ८.१० | (७.७३)% | ७.९७ | (१.६५)% |
| **उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | १४.१८ | १४.०३ | (१.०३)% | १४.७५ | ५.१४% | १५.१० | २.३६% | १५.५३ | २.८६% | १५.६४ | ०.७२% |
| अतिउच्चदाब | १४.०८ | १४.०३ | (०.३३)% | १४.७५ | ५.१४% | १५.१० | २.३६% | १५.५३ | २.८६% | १५.६४ | ०.७२% |
| **उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ८.१६ | ८.७६ | ७.३९% | ९.३३ | ६.४९% | १०.१० | ८.२५% | ११.१० | ९.८३% | १२.१५ | ९.४६% |
| अतिउच्चदाब | ७.९४ | ८.७६ | १०.३२% | ९.३३ | ६.४९% | १०.१० | ८.२५% | ११.१० | ९.८३% | १२.१५ | ९.४६% |
| **उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ८.३३ | ८.३२ | (०.१२)% | ९.१२ | ९.६९% | ९.०८ | (०.४२)% | ८.४२ | (७.३१%) | ८.३१ | (१.३३)% |
| अतिउच्चदाब | ८.३१ | ८.३२ | ०.०८% | ९.१२ | ९.६९% | ९.०८ | (०.४२)% | ८.४२ | (७.३१%) | ८.३१ | (१.३३)% |
| **उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ६.१७ | ७.२८ | १८.१०% | ८.०२ | १०.१५% | ८.८५ | १०.२६% | ९.३९ | ६.१६% | ९.२७ | (१.३३)% |
| अतिउच्चदाब | ६.१२ | ७.२८ | १९.०७% | ८.०२ | १०.१५% | ८.८५ | १०.२६% | ९.३९ | ६.१६% | ९.२७ | (१.३३)% |
| **उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ८.५३ | १०.०५ | १७.९०% | ११.०९ | १०.२९% | १२.२६ | १०.६१% | १३.०४ | ६.३९% | १२.८६ | (१.३८)% |
| अतिउच्चदाब | ७.९९ | १०.०५ | २५.७७% | ११.०९ | १०.२९% | १२.२६ | १०.६१% | १३.०४ | ६.३९% | १२.८६ | (१.३८)% |

(उर्वरीत जाहीरात पुढील पानावर)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ७.७३ | ८.६५ | ११.९२% | ८.८५ | २.३१% | ८.७९ | (०.६४)% | ८.१५ | (७.३२)% | ८.०४ | (१.२७)% |
| अतिउच्चदाब | ७.७४ | ८.६५ | ११.६८% | ८.८५ | २.३१% | ८.७९ | (०.६४)% | ८.१५ | (७.३२)% | ८.०४ | (१.२७)% |
| **उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा** | | | | | | | | | | | |
| **उच्चदाब ८ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | १०.७६ | १०.४२ | (३.१५)% | १०.५२ | ०.९३% | १०.३४ | (१.६७)% | ९.४४ | (८.७०)% | ९.१७ | (२.९०)% |
| अतिउच्चदाब | १०.०३ | १०.४२ | ३.९४% | १०.५२ | ०.९३% | १०.३४ | (१.६७)% | ९.४४ | (८.७०)% | ९.१७ | (२.९०)% |
| **उच्चदाब ८(ब): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा- इतर** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ११.७५ | ११.३४ | (३.५०)% | ११.४२ | ०.६६% | ११.२० | (१.९०)% | १०.१९ | (९.००)% | ९.८७ | (३.१६)% |
| अतिउच्चदाब | १०.९३ | ११.३४ | ३.७१% | ११.४२ | ०.६६% | ११.२० | (१.९०)% | १०.१९ | (९.००)% | ९.८७ | (३.१६)% |
| **उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ७.९३ | ८.८३ | ११.२५% | ९.२४ | ४.६६% | ९.७१ | ५.११% | ९.८५ | १.५०% | ९.७४ | (१.१८)% |
| अतिउच्चदाब | ७.६० | ८.८३ | १६.१३% | ९.२४ | ४.६६% | ९.७१ | ५.११% | ९.८५ | १.५०% | ९.७४ | (१.१८)% |

## तक्ता २३ : लघुदाब वर्गवारी : उपवर्गवारी निहाय विद्यमान व प्रस्तावित वीजदर (वहन आकार वगळून) (रु./युनिट)

| तपशिल | विद्यमान विज आकार इंधन समायोजन आकारासह (रु./ युनिट) | आ.व. २०२५-२६ | | आ.व. २०२६-२७ | | आ.व. २०२७-२८ | | आ.व. २०२८-२९ | | आ.व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट |
| **लघुदाब (घरगुती)** | | | | | | | | | | | |
| लघुदाब १ (अ): लघुदाब घरगुती (दारिद्रय रेषेखालील) | १.७४ | १.४८ | (१५.२६)% | १.५८ | ७.१६% | १.५९ | ०.६१% | १.६९ | ६.०२% | १.७२ | १.९८% |
| लघुदाब १ (ब): लघुदाब-घरगुती | | | | | | | | | | | |
| **१-१०० युनिट** | ५.१४ | ४.३७ | (१४.९७)% | ४.१६ | (४.९३)% | ३.३८ | (१८.७९)% | २.५२ | (२५.३३)% | २.२० | (१२.८०)% |
| **१०१-३००** युनिट | ११.०६ | ११.१४ | ०.७२% | ११.३५ | १.९०% | ११.५३ | १.५९% | ९.५५ | (१७.२२)% | ९.३० | (२.५३)% |
| **३०१-५००** युनिट | १५.६० | १५.४९ | (०.६७)% | १५.३७ | (०.७९)% | १५.५८ | १.४१% | १५.३२ | (१.७१)% | १५.५९ | १.८१% |
| **५००** युनिट पेक्षा जास्त | १७.७६ | १७.६३ | (०.७३)% | १७.६३ | ०.०४% | १७.८९ | १.४२% | १६.६९ | (६.७०)% | १७.२४ | ३.३२% |
| थ्री फेज शुल्क | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती** | | | | | | | | | | | |
| (अ) (१): ०-२० कि.वॅ. | ९.२९ | ८.५३ | (८.२०)% | ८.८८ | ४.१८% | ९.१८ | ३.३२% | ९.५५ | ४.०६% | १०.२६ | ७.४५% |
| (ब): >२० कि.वॅ. आणि ≤ ५० कि.वॅ. | १४.२१ | १३.१० | (७.७८)% | १३.७५ | ४.९५% | १४.१८ | ३.१३% | १४.६७ | ३.४१% | १५.६१ | ६.४४% |
| (क): >५० कि.वॅ. | १५.३८ | १५.६२ | १.५६% | १६.३९ | ४.९१% | १६.९१ | ३.१९% | १७.४७ | ३.३०% | १८.५४ | ६.१५% |
| **लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा** (PWW) | | | | | | | | | | | |
| अ): ०-२० कि.वॅ. | ४.४२ | ४.५८ | ३.६६% | ४.९६ | ८.२६% | ५.४५ | ९.८५% | ६.०२ | १०.४७% | ६.५९ | ९.४०% |
| (ब) > २० कि.वॅ. आणि ≤ ४० कि.वॅ. | ६.८१ | ७.१६ | ५.१४% | ७.७५ | ८.२८% | ८.४७ | ९.२८% | ९.३० | ९.७८% | १०.१२ | ८.७५% |
| (क) >४० कि.वॅ. | ८.९८ | ९.५६ | ६.४३% | १०.३४ | ८.१६% | ११.२६ | ८.९१% | १२.२८ | ९.०४% | १३.२८ | ८.१५% |
| **लघुदाब ४: लघुदाब-कृषी** | | | | | | | | | | | |
| **लघुदाब ४ (ब): लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप** | ३.६९ | ३.१४ | (१४.७७)% | २.७१ | (१३.८२)% | २.३१ | (१४.५९)% | १.६९ | (२६.९९)% | १.६९ | ०.३६% |
| **लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर** | ६.२४ | ७.८६ | २५.८९% | ७.८१ | (०.६२)% | ७.४१ | (५.२०)% | ६.६४ | (१०.३६)% | ६.४३ | (३.११)% |
| **लघुदाब ५ (अ): लघुदाब-औद्योगिक -यंत्रमाग** | | | | | | | | | | | |
| (i) ०-२० कि.वॅ. | ६.५२ | ६.८५ | ५.००% | ७.३२ | ६.९५% | ७.५५ | ३.०८% | ६.९० | (८.६५)% | ६.७६ | (१.९५)% |
| (ii) २० कि.वॅ.पेक्षा जास्त | ७.७८ | ७.९१ | १.६०% | ८.५० | ७.४६% | ८.७६ | ३.१२% | ८.०३ | (८.३५)% | ७.९० | (१.६४)% |
| **लघुदाब ५ (ब): लघुदाब-औद्योगिक- सामान्य** | | | | | | | | | | | |
| (i) ०-२० कि.वॅ. | ६.६८ | ७.१० | ६.३६% | ७.३४ | ३.३१% | ७.३७ | ०.४१% | ६.८५ | (७.००)% | ६.८१ | (०.६२)% |
| (ii) २० कि.वॅ. पेक्षा जास्त | ७.९७ | ९.०४ | १३.४४% | ९.३७ | ३.६६% | ९.३६ | (०.१३)% | ८.६९ | (७.०६)% | ८.६५ | (०.५४)% |
| **लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे** | | | | | | | | | | | |
| (अ) ग्रामपंचायत: अ.ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका | ७.४० | ७.९६ | ७.५८% | ८.०९ | १.६८% | ७.९९ | (१.२०)% | ७.३३ | (८.३२)% | ७.१९ | (१.९२)% |
| (ब) महानगरपालिका क्षेत्र | ८.९९ | ९.७२ | ८.०४% | ९.८८ | १.६५% | ९.७४ | (१.४२)% | ८.९३ | (८.३२)% | ८.७५ | (१.९४)% |
| **लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय** | | | | | | | | | | | |
| (i): ≤ २० कि.वॅ. | ४.८६ | ४.०४ | (१६.८७)% | ४.१५ | २.७३% | ३.९६ | (४.४५)% | २.९६ | (२५.२७)% | २.५५ | (१३.९८)% |
| (ii): > २० कि.वॅ. - ≤५० कि.वॅ. | ६.९५ | ७.०३ | १.१६% | ७.२३ | २.८०% | ७.१० | (१.६९)% | ६.२६ | (११.९३)% | ५.९३ | (५.२०)% |
| (iii): > ५० कि.वॅ. | ७.७५ | ८.७० | १२.३१% | ८.९४ | २.७२% | ८.८० | (१.५५)% | ७.८१ | (११.१९)% | ७.४४ | (४.८१)% |
| **लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर** | | | | | | | | | | | |
| (i): ≤ २० कि.वॅ. | ६.७१ | ५.८६ | (१२.६६)% | ५.६२ | (४.१८)% | ५.४२ | (३.४९)% | ४.६३ | (१४.५६)% | ४.३१ | (७.०३)% |
| (ii): > २० कि.वॅ. - ≤५० कि.वॅ. | १०.५९ | १०.२१ | (३.५९)% | ९.९५ | (२.५७)% | ९.७३ | (२.२५)% | ८.५४ | (१२.१६)% | ८.०७ | (५.५६)% |
| (iii): > ५० कि.वॅ. | १०.८५ | १०.५४ | (२.८६)% | १०.३५ | (१.८१)% | १०.१३ | (२.१२)% | ८.९७ | (११.४७)% | ८.५१ | (५.११)% |
| **लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन** | ७.३० | ९.८६ | ३५.१४% | १०.१४ | २.८३% | १०.१४ | ०.०२% | ९.४५ | (६.८५)% | ९.३४ | (१.१५)% |

## तक्ता २४ : उच्चदाब वर्गवारी : उपवर्गवारी निहाय विद्यमान व प्रस्तावित स्थिर आकार (रु./के.व्ही.ए./महीना)

| तपशिल | विद्यमान (रु./ के.व्ही.ए. /महीना) | आ.व. २०२५-२६ | | आ.व. २०२६-२७ | | आ.व. २०२७-२८ | | आ.व. २०२८-२९ | | आ.व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट |
| **उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| अतिउच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| **उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| अतिउच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| **उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| अतिउच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| **उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| अतिउच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| **उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| अतिउच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| **उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ९७ | ११५ | १८.५६% | १४५ | २६.०९% | १८० | २४.१४% | २१५ | १९.४४% | २३० | ६.९८% |
| अतिउच्चदाब | ९७ | ११५ | १८.५६% | १४५ | २६.०९% | १८० | २४.१४% | २१५ | १९.४४% | २३० | ६.९८% |
| **उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ९७ | ११५ | १८.५६% | १४५ | २६.०९% | १८० | २४.१४% | २१५ | १९.४४% | २३० | ६.९८% |
| अतिउच्चदाब | ९७ | ११५ | १८.५६% | १४५ | २६.०९% | १८० | २४.१४% | २१५ | १९.४४% | २३० | ६.९८% |
| **उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ४३८ | ५२० | १८.७२% | ५८० | ११.५४% | ६३० | ८.६२% | ६३५ | ०.७९% | ६४० | ०.७९% |
| अतिउच्चदाब | ४३८ | ५२० | १८.७२% | ५८० | ११.५४% | ६३० | ८.६२% | ६३५ | ०.७९% | ६४० | ०.७९% |
| **उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा** | | | | | | | | | | | |
| **उच्चदाब ८ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| अतिउच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| **उच्चदाब ८(ब): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा- इतर** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| अतिउच्चदाब | ५४९ | ६०० | ९.२९% | ६७५ | १२.५०% | ७२० | ६.६७% | ७३० | १.३९% | ७५० | २.७४% |
| **उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ८० | ० | (१००.००)% | ० | ०.००% | ० | ०.००% | ० | ०.००% | ० | ०.००% |
| अतिउच्चदाब | ८० | ० | (१००.००)% | ० | ०.००% | ० | ०.००% | ० | ०.००% | ० | ०.००% |

## तक्ता २५ : लघुदाब वर्गवारी : उपवर्गवारी निहाय विद्यमान व प्रस्तावित स्थिर आकार

| तपशिल | विद्यमान (रु./ के.व्ही.ए. /महीना) | आ.व. २०२५-२६ | | आ.व. २०२६-२७ | | आ.व. २०२७-२८ | | आ.व. २०२८-२९ | | आ.व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट |
| **लघुदाब (घरगुती)** | | | | | | | | | | | |
| लघुदाब १ (अ): लघुदाब घरगुती (दारिद्रय रेषेखालील) | ३४ | ३५ | २.९४% | ४० | १४.२९% | ४८ | २०.००% | ५५ | १४.५८% | ६५ | १८.१८% |
| लघुदाब १ (ब): लघुदाब-घरगुती | | | | | | | | | | | |
| **१-१००** युनिट | १२८ | १३० | १.५६% | १४० | ७.६९% | १४५ | ३.५७% | १४५ | ०.००% | १४५ | ०.००% |
| **१०१-३००** युनिट | १२८ | १३५ | ५.४७% | १४५ | ७.४१% | १५० | ३.४५% | १५० | ०.००% | १५० | ०.००% |
| **३०१-५००** युनिट | १२८ | १४० | ९.३८% | १५० | ७.१४% | १५५ | ३.३३% | १५५ | ०.००% | १५५ | ०.००% |
| **५००** युनिट पेक्षा जास्त | १२८ | १४५ | १३.२८% | १५५ | ६.९०% | १६० | ३.२३% | १६० | ०.००% | १६० | ०.००% |
| थ्री फेज शुल्क | ४२४ | ० | (१००.००%) | | | | | | | | |
| **लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती** | | | | | | | | | | | |
| (अ) (१): ०-२० कि.वॅ. | ५१७ | ५५० | ६.३८% | ५७५ | ४.५५% | ६०० | ४.३५% | ६०० | ०.००% | ६०० | ०.००% |
| (ब): >२० कि.वॅ. आणि ≤ ५० कि.वॅ. | ५१७ | ५७० | १०.२५% | ६०० | ५.२६% | ६२५ | ४.१७% | ६२५ | ०.००% | ६२५ | ०.००% |
| (क): >५० कि.वॅ. | ५१७ | ५७० | १०.२५% | ६०० | ५.२६% | ६२५ | ४.१७% | ६२५ | ०.००% | ६२५ | ०.००% |
| **लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा** (PWW) | | | | | | | | | | | |
| अ): ०-२० कि.वॅ. | १२९ | १५० | १६.२८% | १७३ | १५.३३% | २०० | १५.६१% | २३० | १५.००% | २७० | १७.३९% |
| (ब) > २० कि.वॅ. आणि ≤ ४० कि.वॅ. | १५६ | १८० | १५.३८% | २०७ | १५.००% | २३८ | १४.९८% | २७० | १३.४५% | ३१० | १४.८१% |
| (क) >४० कि.वॅ. | १९४ | २२० | १३.४०% | २५३ | १५.००% | २९० | १४.६२% | ३३५ | १५.५२% | ३८५ | १४.९३% |
| **लघुदाब ४: लघुदाब-कृषी** | | | | | | | | | | | |
| **लघुदाब ४ (अ): लघुदाब-कृषी मीटर नसलेले पंप** | | | | | | | | | | | |
| प्रवर्ग १ (वार्षिक १३१८ तास/ अ.श. /वर्ष पेक्षा जास्त वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे) | | | | | | | | | | | |
| (अ) ०-५ अ.श. | ६२१ | ४९८ | (११.६१)% | ४५४ | (८.८०)% | ४१० | (९.७९)% | ३०८ | (२४.७३)% | ३२५ | ५.३६% |
| (ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श. | ७०५ | ५४८ | (९.७९)% | ५०० | (८.८०)% | ४५१ | (९.७९)% | ३३९ | (२४.७३)% | ३५७ | ५.३६% |
| (क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त | ७८७ | ६१३ | (१०.१६)% | ५५९ | (८.८०)% | ५०५ | (९.७९)% | ३८० | (२४.७३)% | ४०० | ५.३६% |
| प्रवर्ग २ (वार्षिक १३१८ तास / अ.श./वर्ष पेक्षा कमी वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे) | | | | | | | | | | | |
| (अ) ०-५ अ.श. पर्यंत | ४४८ | ३९८ | (८.४५)% | ३६३ | (८.८०)% | ३२८ | (९.७९)% | २४७ | (२४.७३)% | २६० | ५.३६% |
| (ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श. | ५०९ | ४३८ | (७.८८)% | ४०० | (८.८०)% | ३६० | (९.७९)% | २७१ | (२४.७३)% | २८६ | ५.३६% |
| (क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त | ५८४ | ५०८ | (७.८०)% | ४६४ | (८.८०)% | ४१८ | (९.७९)% | ३१५ | (२४.७३)% | ३३२ | ५.३६% |
| **लघुदाब ४ (ब): लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप** | ५२ | ६० | १५.३८% | ७० | १६.६७% | ८० | १४.२९% | ६४ | (२०.००)% | ६४ | ०.००% |
| **लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर** | १४२ | २०० | ४०.८५% | २३० | १५.००% | २७० | १७.३९% | २७० | ०.००% | २७० | ०.००% |
| **लघुदाब ५ (अ): लघुदाब-औद्योगिक यंत्रमाग** | | | | | | | | | | | |
| (i) ०-२० कि.वॅ. | ५८३ | ६५० | ११.४९% | ७२० | १०.७७% | ७८० | ८.३३% | ७८० | ०.००% | ७८० | ०.००% |
| (ii) २० कि.वॅ.पेक्षा जास्त | ३८८ | ४१५ | ६.९६% | ४४५ | ७.२३% | ४८० | ७.८७% | ४८० | ०.००% | ४८० | ०.००% |
| **लघुदाब ५ (ब): लघुदाब-औद्योगिक- सामान्य** | | | | | | | | | | | |
| (i) ०-२० कि.वॅ. | ५८३ | ६५० | ११.४९% | ७२० | १०.७७% | ७८० | ८.३३% | ७८० | ०.००% | ७८० | ०.००% |
| (ii) २० कि.वॅ. पेक्षा जास्त | ३८८ | ४१५ | ६.९६% | ४४५ | ७.२३% | ४८० | ७.८७% | ४८० | ०.००% | ४८० | ०.००% |
| **लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे** | | | | | | | | | | | |
| (अ) ग्रामपंचायत: अ.ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका | १४२ | १६० | १२.६८% | १७५ | ९.३८% | १९० | ८.५७% | १९० | ०.००% | १९० | ०.००% |
| (ब) महानगरपालिका क्षेत्र | १४२ | १६० | १२.६८% | १७५ | ९.३८% | १९० | ८.५७% | १९० | ०.००% | १९० | ०.००% |
| **लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय** | | | | | | | | | | | |
| (i): ≤ २० कि.वॅ. | ४२७ | ४५० | ५.३९% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% |
| (ii): > २० कि.वॅ. - ≤५० कि.वॅ. | ४२७ | ४५० | ५.३९% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% |
| (iii): > ५० कि.वॅ. | ४२७ | ४५० | ५.३९% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% | ४५० | ०.००% |
| **लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर** | | | | | | | | | | | |
| (i): ≤ २० कि.वॅ. | ४६४ | ५५० | १८.५३% | ६२५ | १३.६४% | ६२५ | ०.००% | ६२५ | ०.००% | ६२५ | ०.००% |
| (ii): > २० कि.वॅ. - ≤५० कि.वॅ. | ४६४ | ५५० | १८.५३% | ६२५ | १३.६४% | ६२५ | ०.००% | ६२५ | ०.००% | ६२५ | ०.००% |
| (iii): > ५० कि.वॅ. | ४६४ | ५५० | १८.५३% | ६२५ | १३.६४% | ६२५ | ०.००% | ६२५ | ०.००% | ६२५ | ०.००% |
| **लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन** | ८० | ० | (१००.०० %) | ० | ०.००% | ० | ०.००% | ० | ०.००% | ० | ०.००% |

## तक्ता २६ : उच्चदाब उपवर्गवारी निहाय विद्यमान व प्रस्तावित सरासरी देयक दर (रु./युनिट)

| तपशिल | विद्यमान रु/युनिट | आ.व. २०२५-२६ | | आ.व. २०२६-२७ | | आ.व. २०२७-२८ | | आ.व. २०२८-२९ | | आ.व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित |
| **उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ११.०३ | ११.०९ | ०.५५% | ११.४८ | ३.४४% | ११.५३ | ०.४९% | १०.८७ | (५.७५)% | १०.७४ | (१.१७)% |
| अतिउच्चदाब | १०.४९ | १०.५० | ०.१०% | १०.८९ | ३.७४% | १०.९८ | ०.८४% | १०.३४ | (५.७९)% | १०.२४ | (०.९७)% |
| **उच्चदाब १ (अ) (१): उच्चदाब-औद्योगिक एकुण** | **१०.८७** | **१०.९१** | **०.४२%** | **११.३०** | **३.५७%** | **११.३७** | **०.६२%** | **१०.७२** | **(५.७४)%** | **१०.६०** | **(१.१०)%** |
| **उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | १४.४३ | १३.०० | (९.९३)% | १३.५५ | ४.२६% | १३.६९ | १.०७% | १३.०२ | (४.९१)% | १२.९२ | (०.७५)% |
| अतिउच्चदाब | ११.५७ | ११.०५ | (४.४९)% | ११.४२ | ३.४०% | ११.४८ | ०.५१% | १०.८० | (५.९१)% | १०.६९ | (१.०३)% |
| **उच्चदाब १ (ब):उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी) एकुण** | **१४.४०** | **१२.९८** | **(९.८६)%** | **१३.५४** | **४.२६%** | **१३.६८** | **१.०७%** | **१३.०१** | **(४.९२)%** | **१२.९१** | **(०.७५)%** |
| **उच्चदाब १: उच्चदाब-औद्योगिक एकुण** | **१०.८८** | **१०.९२** | **०.३९%** | **११.३१** | **३.५७%** | **११.३८** | **०.६२%** | **१०.७३** | **(५.७४)%** | **१०.६१** | **(१.१०)%** |
| **उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | १७.०२ | १६.८८ | (०.८५)% | १७.८२ | ५.६०% | १८.४० | ३.२२% | १८.९३ | २.९२% | १९.१८ | १.२९% |
| अतिउच्चदाब | १५.९९ | १८.१३ | १३.३४% | १९.३१ | ६.५५% | २०.१५ | ४.३५% | २०.८७ | ३.५९% | २१.३८ | २.४२% |
| **उच्चदाब २ : उच्चदाब-वाणिज्य एकुण** | **१६.९७** | **१६.९१** | **(०.३५)%** | **१७.८६** | **५.६२%** | **१८.४४** | **३.२५%** | **१८.९८** | **२.९३%** | **१९.२३** | **१.३२%** |
| **उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | १०.५४ | ११.५९ | ९.९०% | १२.५५ | ८.२७% | १३.५८ | ८.२१% | १४.६९ | ८.२३% | १५.८९ | ८.१८% |
| अतिउच्चदाब | ९.७९ | ११.१९ | १४.३४% | १२.१४ | ८.४७% | १३.१८ | ८.५७% | १४.३० | ८.५४% | १५.५३ | ८.६२% |
| **उच्चदाब ३ (अ): उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन एकुण** | **१०.२४** | **११.४४** | **११.७२%** | **१२.३९** | **८.३४%** | **१३.४३** | **८.३४%** | **१४.५५** | **८.३४%** | **१५.७६** | **८.३४%** |

(उर्वरीत जाहीरात पुढील पानावर)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | १०.०० | १०.४१ | ४.०८% | ११.४३ | ९.७८% | ११.५१ | ०.७४% | १०.८७ | (५.५९)% | १०.७६ | (१.०१)% |
| अतिउच्चदाब | ८.९६ | ९.१४ | २.०१% | ९.९८ | ९.२१% | ९.९५ | (०.२५)% | ९.२६ | (६.९९)% | ९.११ | (१.६४)% |
| **उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) एकुण** | **९.९३** | **१०.३२** | **३.८७%** | **११.३१** | **९.६८%** | **११.३८** | **०.६२%** | **१०.७३** | **(५.७४)%** | **१०.६१** | **(१.१०)%** |
| **उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ७.१८ | ८.५५ | १९.१०% | ९.४६ | १०.६५% | १०.४३ | १०.२९% | ११.१० | ६.४४% | ११.०१ | (०.८६)% |
| अतिउच्चदाब | ६.४३ | ७.५६ | १७.५८% | ८.३५ | १०.५३% | ९.२४ | १०.६४% | ९.८५ | ६.५८% | ९.७४ | (१.०९)% |
| **उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप एकुण** | **६.६८** | **७.८३** | **१७.१६%** | **८.६६** | **१०.५७%** | **९.५७** | **१०.५४%** | **१०.१९** | **६.५४%** | **१०.०९** | **(१.०३)%** |
| **उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ९.६८ | ११.२४ | १६.०७% | १२.४४ | १०.७४% | १३.७७ | १०.६६% | १४.६८ | ६.६३% | १४.५४ | (०.९४)% |
| अतिउच्चदाब | ०.०० | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | |
| **उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर एकुण** | **९.६८** | **११.२४** | **१६.०७%** | **१२.४४** | **१०.७४%** | **१३.७७** | **१०.६६%** | **१४.६८** | **६.६३%** | **१४.५४** | **(०.९४)%** |
| **उच्चदाब ५: उच्चदाब-कृषी एकुण** | **६.९९** | **८.२७** | **१८.२८%** | **९.१३** | **१०.४३%** | **१०.०८** | **१०.४३%** | **१०.७३** | **६.४६%** | **१०.६१** | **(१.१०)%** |
| **उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ९.६९ | १०.९२ | १२.७२% | ११.३१ | ३.५७% | ११.३८ | ०.६२% | १०.७३ | (५.७४)% | १०.६१ | (१.१०)% |
| अतिउच्चदाब | ०.०० | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | |
| **उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी) एकुण** | **९.६९** | **१०.९२** | **१२.७२%** | **११.३१** | **३.५७%** | **११.३८** | **०.६२%** | **१०.७३** | **(५.७४)%** | **१०.६१** | **(१.१०)%** |
| **उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा** | | | | | | | | | | | |
| **उच्चदाब ८ (अ): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | १२.८३ | १२.८८ | ०.३९% | १३.३२ | ३.४२% | १३.३९ | ०.५२% | १२.६१ | (५.८१)% | १२.४६ | (१.२१)% |
| अतिउच्चदाब | ०.०० | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | |
| **उच्चदाब ८ (अ): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा शासकीय एकुण** | **१२.८३** | **१२.८८** | **०.३९%** | **१३.३२** | **३.४२%** | **१३.३९** | **०.५२%** | **१२.६१** | **(५.८१)%** | **१२.४६** | **(१.२१)%** |
| **उच्चदाब ८ (ब): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा-इतर** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | १४.२२ | १४.२९ | ०.४६% | १४.८० | ३.५८% | १४.८९ | ०.६६% | १४.०५ | (५.६८)% | १३.८९ | (१.०९)% |
| अतिउच्चदाब | ०.०० | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | |
| **उच्चदाब ८(ब): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा-इतर एकुण** | **१४.२२** | **१४.२९** | **०.४६%** | **१४.८०** | **३.५८%** | **१४.८९** | **०.६६%** | **१४.०५** | **(५.६८)%** | **१३.८९** | **(१.०९)%** |
| **उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा एकुण** | **१३.८२** | **१३.८८** | **०.४४%** | **१४.३७** | **३.५३%** | **१४.४६** | **०.६१%** | **१३.६३** | **(५.७२)%** | **१३.४८** | **(१.१३)%** |
| **उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन** | | | | | | | | | | | |
| उच्चदाब | ८.८८ | ९.५९ | ८.००% | १०.०७ | ५.००% | १०.५७ | ५.००% | १०.७३ | १.४९% | १०.६१ | (१.१०)% |
| अतिउच्चदाब | ०.०० | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | | ०.०० | |
| **उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन एकुण** | **८.८८** | **९.५९** | **८.००%** | **१०.०७** | **५.००%** | **१०.५७** | **५.००%** | **१०.७३** | **१.४९%** | **१०.६१** | **(१.१०)%** |
| **उच्चदाब एकुण** | **१०.९२** | **११.००** | **०.७०%** | **११.४४** | **३.९९%** | **११.५६** | **१.०४%** | **११.०२** | **(४.६४)%** | **१०.९०** | **(१.१०)%** |

### तक्ता २७ : लघुदाब प्रवर्गाकरीता उपवर्गवारी निहाय विद्यमान व प्रस्तावित सरासरी वीज दर (रु./युनिट)

| ग्राहक वर्गवारी | विद्यमान रु./युनिट | आ. व. २०२५-२६ | | आ. व. २०२६-२७ | | आ. व. २०२७-२८ | | आ. व. २०२८-२९ | | आ. व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट |
| **लघुदाब (घरगुती)** | | | | | | | | | | | |
| लघुदाब १ (अ): लघुदाब घरगुती (दारिद्रय रेषेखालील) | ३.६७ | ३.१४ | (१४.४६)% | ३.३० | ५.११% | ३.४६ | ४.८९% | ३.६३ | ५.००% | ३.८२ | ५.००% |
| लघुदाब १ (ब): लघुदाब- घरगुती | | | | | | | | | | | |
| १-१०० युनिट | ८.१४ | ७.६५ | (६.०३)% | ७.७० | ०.६५% | ७.०४ | (८.५६)% | ६.२० | (११.९०)% | ५.८७ | (५.३७)% |
| १०१-३०० युनिट | १३.२४ | १३.४९ | १.८९% | १३.८४ | २.६४% | १४.०८ | १.७१% | १२.०९ | (१४.१२)% | ११.८२ | (२.२५)% |
| ३०१-५०० युनिट | १७.७८ | १७.९९ | १.१६% | १८.१० | ०.६३% | १८.५३ | २.४०% | १८.५५ | ०.११% | १९.५० | ५.१०% |
| ५०० युनिटपेक्षा जास्त | १९.२३ | १९.३७ | ०.७४% | १९.५६ | ०.९८% | १९.९३ | १.८६% | १८.८४ | (५.४६)% | १९.६० | ४.०४% |
| थ्री फेज शुल्क | ०.०० | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% |
| **लघुदाब १: लघुदाब -घरगुती एकुण** | ११.२१ | ११.२५ | ०.३३% | ११.४२ | १.५९% | ११.२० | (१.९७)% | ९.७९ | (१२.५७)% | ९.३५ | (४.५१)% |
| **लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती** | | | | | | | | | | | |
| (अ) ० - २० किलोवॅट | १३.२८ | १२.९६ | (२.४३)% | १३.५४ | ४.४९% | १३.९८ | ३.२९% | १४.३८ | २.८१% | १५.०८ | ४.८७% |
| (ब) >२० किलोवॅट व ≤ ५० किलोवॅट | १७.८३ | १६.७५ | (६.०६)% | १७.४१ | ३.९४% | १८.०२ | ३.५१% | १८.६२ | ३.३४% | १९.६९ | ५.७२% |
| (क) >५० किलोवॅट | १८.७७ | १९.१० | १.७५% | १९.८७ | ४.०५% | २०.५६ | ३.४८% | २१.२३ | ३.२६% | २२.४२ | ५.५८% |
| **लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती एकुण** | १४.७९ | १४.६६ | (०.८७)% | १५.३६ | ४.७६% | १५.८७ | ३.३६% | १६.३२ | २.८०% | १७.१० | ४.७८% |
| **लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW)** | | | | | | | | | | | |
| (अ) ०-२० किलोवॅट | ५.८७ | ६.३७ | ८.५४% | ६.९४ | ९.००% | ७.५६ | ८.९७% | ८.२४ | ८.९८% | ८.९१ | ८.१४% |
| (ब) > २० किलोवॅट व ≤ ४० किलोवॅट | ८.४७ | ९.२२ | ८.८३% | १०.०५ | ९.०२% | १०.९५ | ८.९९% | ११.९४ | ९.०१% | १२.९२ | ८.१७% |
| (क) > ४० किलोवॅट | ११.०२ | १२.०६ | ९.४४% | १३.१५ | ९.०५% | १४.३४ | ९.०३% | १५.६४ | ९.०५% | १६.९२ | ८.२२% |
| **लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) एकुण** | ७.०० | ७.५८ | ८.२३% | ८.२६ | ९.०१% | ९.०० | ८.९९% | ९.८१ | ९.००% | १०.६१ | ८.१७% |
| **लघुदाब ४: लघुदाब-कृषी** | | | | | | | | | | | |
| **लघुदाब ४ (अ): लघुदाब-कृषी मीटर नसलेले पंप** | | | | | | | | | | | |
| प्रवर्ग १ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./वर्ष पेक्षा जास्त वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे) | | | | | | | | | | | |
| (अ) ०-५ अ.श. | ८.६६ | ७.५६ | (१२.७४)% | ७.२० | (४.७०)% | ६.८० | (५.५३)% | ५.७१ | (१६.०३)% | ५.७३ | ०.३६% |
| (ब) ५ अ.श. पेक्षा जास्त ते ७.५ अ.श. | १५.४१ | १३.४० | (१३.०५)% | १२.७३ | (५.००)% | ११.९९ | (५.७९)% | १०.०१ | (१६.५५)% | १०.०५ | ०.४६% |
| (क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त | ०.०० | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | |
| प्रवर्ग २ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./वर्ष पेक्षा कमी वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे) | | | | | | | | | | | |
| (अ) ०-५ अ.श. पर्यंत | ३.१४ | ३.०१ | (३.९७)% | २.९० | (३.९४)% | २.७५ | (४.८९)% | २.३५ | (१४.७२)% | २.३५ | ०.१०% |
| (ब) ५ अ.श. पेक्षा जास्त ते ७.५ अ.श. | ८.७९ | ७.६९ | (१२.५७)% | ७.३६ | (४.२८)% | ६.९८ | (५.१७)% | ५.९१ | (१५.२९)% | ५.९२ | ०.२१% |
| (क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त | ०.०० | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | ०.००% | ०.०० | |
| **लघुदाब ४ (ब): लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप** | ५.२५ | ५.०५ | (३.७२)% | ४.८३ | (४.४०)% | ४.५८ | (५.२८)% | ३.८७ | (१५.५१)% | ३.८८ | ०.२५% |
| **लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर** | ८.५१ | १०.९२ | २८.३०% | ११.३१ | ३.६१% | ११.३८ | ०.६२% | १०.७३ | (५.७४)% | १०.६१ | (१.१०)% |
| **लघुदाब ४): लघुदाब कृषी एकुण** | ५.३६ | ५.०७ | (५.४६)% | ४.८५ | (४.३०)% | ४.६० | (५.१९)% | ३.८९ | (१५.३५)% | ३.९० | ०.२२% |
| **लघुदाब ५ (अ): लघुदाब- औद्योगिक -यंत्रमाग** | | | | | | | | | | | |
| (१) ०-२० किलोवॅट | ८.६२ | ९.३३ | ८.२८% | १०.०४ | ७.६६% | १०.४२ | ३.७४% | ९.७९ | (६.०५)% | ९.६५ | (१.४३)% |
| (२) २० किलोवॅट पेक्षा जास्त | ९.५९ | १०.३१ | ७.५९% | ११.१५ | ८.०७% | ११.६१ | ४.१५% | १०.९५ | (५.६७)% | १०.८४ | (१.०३)% |
| **लघुदाब ५ (अ): लघुदाब -औद्योगिक-यंत्रमाग एकुण** | ९.४० | १०.१३ | ७.७१% | १०.९४ | ८.००% | ११.३८ | ४.०८% | १०.७३ | (५.७४)% | १०.६१ | (१.१०)% |
| **लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य** | | | | | | | | | | | |
| (१) ०-२० किलोवॅट | ८.५६ | ९.२४ | ७.८४% | ९.६२ | ४.१५% | ९.७२ | १.०६% | ९.२० | (५.४०)% | ९.१२ | (०.८०)% |
| (२) २० किलोवॅट पेक्षा जास्त | ११.१८ | ११.८९ | ६.३२% | १२.२८ | ३.३४% | १२.३४ | ०.४४% | ११.६१ | (५.८७)% | ११.४७ | (१.२३)% |
| **लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- उद्योग - सामान्य एकूण** | १०.२४ | १०.९२ | ६.६९% | ११.३१ | ३.५७% | ११.३८ | ०.६२% | १०.७३ | (५.७४)% | १०.६१ | (१.१०)% |
| **लघुदाब ५ : लघुदाब -औद्योगिक एकुण** | १०.०९ | १०.८० | ७.०७% | ११.२६ | ४.२७% | ११.३८ | १.१०% | १०.७३ | (५.७४)% | १०.६१ | (१.१०)% |
| **लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे** | | | | | | | | | | | |
| (अ) ग्रामपंचायत: अ ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका | ९.२० | १०.१६ | १०.३८% | १०.५२ | ३.५५% | १०.५८ | ०.५९% | ९.९७ | (५.७६)% | ९.८६ | (१.१३)% |
| (ब) महानगरपालिका क्षेत्र | ११.२६ | १२.४६ | १०.५८% | १२.९१ | ३.६१% | १२.९९ | ०.६६% | १२.२५ | (५.७०)% | १२.१२ | (१.०६)% |
| **लघुदाब ६: लघुदाब पथदिवे -एकुण** | ९.८९ | १०.९२ | १०.४६% | ११.३१ | ३.५७% | ११.३८ | ०.६२% | १०.७३ | (५.७४)% | १०.६१ | (१.१०)% |
| **लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय** | | | | | | | | | | | |
| (i) ≤ २० किलोवॅट | ११.१२ | ११.६९ | ५.१२% | १२.४० | ६.०९% | १२.७८ | ३.०९% | १२.३६ | (३.३३)% | १२.५४ | १.४४% |
| (ii) >२० - ≤ ५० किलोवॅट | १०.३२ | १०.२५ | (०.७२)% | १०.६१ | ३.४७% | १०.६५ | ०.४५% | १०.०२ | (५.९०)% | ९.८९ | (१.३५)% |
| (iii) >५० किलोवॅट | ११.३४ | १२.१० | ६.६५% | १२.५० | ३.३४% | १२.५४ | ०.३२% | ११.७८ | (६.०४)% | ११.६१ | (१.५०)% |
| **लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण** | ११.०३ | ११.५३ | ४.५४% | १२.१४ | ५.३४% | १२.४३ | २.३५% | ११.९३ | (४.०४)% | १२.०१ | ०.६९% |
| **लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर** | | | | | | | | | | | |
| (i) ≤ २० किलोवॅट | ९.३४ | ९.२९ | (०.४९)% | ९.६२ | ३.५६% | ९.६८ | ०.५७% | ९.१२ | (५.७५)% | ९.०२ | (१.१५)% |
| (ii) >२० - ≤ ५० किलोवॅट | १३.५९ | १४.१२ | ३.९१% | १४.६० | ३.३६% | १४.६५ | ०.३५% | १३.७७ | (५.९९)% | १३.५७ | (१.४४)% |
| (iii) >५० किलोवॅट | १४.५३ | १४.०४ | (३.३५)% | १४.४८ | ३.१७% | १४.५१ | ०.१५% | १३.६१ | (६.१९)% | १३.३८ | (१.६५)% |
| **लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण** | ११.६२ | ११.५९ | (०.३१)% | ११.९८ | ३.३८% | १२.०२ | ०.३८% | ११.३१ | (५.९६)% | ११.१५ | (१.३९)% |
| **लघुदाब ७: सार्वजनिक सेवा- एकुण** | ११.५५ | ११.५८ | ०.२४% | १२.०० | ३.६१% | १२.०७ | ०.६१% | ११.३८ | (५.७२)% | ११.२५ | (१.१३)% |
| **लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन** | १०.२२ | १०.९२ | ६.८६% | ११.३१ | ३.५७% | ११.३८ | ०.६२% | १०.७३ | (५.७४)% | १०.६१ | (१.१०)% |
| **लघुदाब एकूण** | ८.७२ | ८.८७ | १.७१% | ९.०८ | २.३८% | ९.०७ | (०.१५)% | ८.३४ | (८.०२)% | ८.३० | (०.५३)% |

### तक्ता २८ : उच्चदाब प्रवर्गाकरीता उपवर्गवारी निहाय क्रॉस सबसिडी*

विलगीकरणापूर्वी -

| ग्राहक वर्गवारी | विद्यमान क्रॉस सबसिडी | आ. व. २०२५-२६ | | आ. व. २०२६-२७ | | आ. व. २०२७-२८ | | आ. व. २०२८-२९ | | आ. व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट |
| उच्चदाब १: उच्चदाब-औद्योगिक | ११३% | ११६% | २.६५% | ११६% | ०.४५% | ११६% | ०.१०% | ११७% | ०.५७% | ११६% | (०.६२)% |
| उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य | १७४% | १७९% | ५.००% | १८३% | ४.२४% | १८८% | ४.९५% | २०७% | १८.३१% | २१०% | ३.९२% |
| उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन | ११३% | १२१% | ८.११% | १२७% | ६.०७% | १३७% | ९.८७% | १५८% | २१.२३% | १७२% | १४.१९% |
| उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा | १०४% | १०९% | ५.२१% | ११६% | ६.८९% | ११६% | ०.१०% | ११७% | ०.५७% | ११६% | (०.६२)% |
| उच्चदाब ५ : उच्चदाब-कृषीपंप | ८०% | ८३% | २.८८% | ८९% | ५.९४% | ९८% | ८.८३% | १११% | १३.२५% | ११०% | (०.५१)% |
| उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी) | १००% | ११६% | १५.६५% | ११६% | ०.४५% | ११६% | ०.१०% | ११७% | ०.५७% | ११६% | (०.६२)% |
| उच्चदाब ७(अ): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा शासकीय | १४३% | १३६% | (६.६६)% | १३७% | ०.३३% | १३७% | (०.०२)% | १३७% | ०.५६% | १३६% | (०.८८)% |
| उच्चदाब ७(ब): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा इतर | १४३% | १५१% | ८.२३% | १५२% | ०.६०% | १५२% | ०.१९% | १५३% | ०.८३% | १५२% | (०.८१)% |
| **उच्चदाब एकूण** | ११४% | ११६% | २.४४% | ११७% | ०.९३% | ११८% | ०.५९% | १२०% | १.९६% | ११९% | (०.६४)% |

## विलगीकरणानंतर –

| ग्राहक वर्गवारी | विद्यमान क्रॉस सबसिडी | आ. व. २०२५-२६ | | आ. व. २०२६-२७ | | आ. व. २०२७-२८ | | आ. व. २०२८-२९ | | आ. व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट |
| उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक | ११३% | १००% | (१२.९८)% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.०५% |
| उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य | १७४% | १५५% | (१९.१९ )% | १५८% | ३.०६% | १६२% | ४.१३% | १७७% | १४.९०% | १८१% | ४.४१% |
| उच्चदाब ३ : उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन एकुण | ११३% | १०५% | (८.२६)% | ११०% | ४.८२% | ११८% | ८.४१% | १३६% | १७.६१% | १४९% | १३.०२% |
| उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा) | १०४% | ९४% | (९.५५)% | १००% | ५.५७% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.०५% |
| उच्चदाब ५ : उच्चदाब-कृषीपंप | ८०% | ७२% | (८.३२)% | ७७% | ४.८४% | ८४% | ७.५४% | ९५% | १०.९४% | ९५% | ०.१२% |
| उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी) | १००% | १००% | (०.०२)% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.०५% |
| उच्चदाब ९ (अ): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा शासकीय | १४३% | ११८% | (२५.०९)% | ११८% | (०.१७)% | ११८% | (०.१२)% | ११८% | (०.०९)% | ११७% | (०.०७)% |
| उच्चदाब ९(ब) : उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा-इतर | १४३% | १३१% | (१२.२१)% | १३१% | ०.०१% | १३१% | ०.०६% | १३१% | ०.०७% | १३१% | ०.०७% |
| **उच्चदाब एकूण** | ११४% | १०१% | (१३.३०)% | १०१% | ०.४१% | १०२% | ०.४३% | १०३% | १.१८% | १०३% | ०.०५% |

** विलगीकरणापूर्वी व विलगीकरणा नंतरच्या दराच्या आधारावर स्वतंत्रपणे क्रॉससबसिडीची गणना.*

### तक्ता २९ : पाचव्या नियंत्रण कालावधी करीता लघुदाब प्रवर्गाकरीता उपवर्गवारी निहाय क्रॉस सबसिडी* (टक्केवारी मध्ये)

विलगीकरणापूर्वी –

| ग्राहक वर्गवारी | विद्यमान क्रॉस सबसिडी | आ. व. २०२५-२६ | | आ. व. २०२६-२७ | | आ. व. २०२७-२८ | | आ. व. २०२८-२९ | | आ. व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट | प्रस्तावित | टक्केवारी मध्ये वाढ / घट |
| लघुदाब १ : लघुदाब- घरगुती | १०६% | ११९% | १३.०४% | ११७% | (१.८२)% | ११४% | (२.९२)% | १०७% | (७.७६)% | १०२% | (४.२२)% |
| लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती | १५१% | १५५% | ४.१७% | १५८% | २.३९% | १६२% | ४.४३% | १७८% | १५.५३% | १८७% | ९.५५% |
| लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) | ७३% | ८०% | ७.२१% | ८५% | ४.५४% | ९२% | ७.१२% | १०७% | १४.८८% | ११६% | ९.३८% |
| लघुदाब ५ (अ): लघुदाब- औद्योगिक -यंत्रमाग | ९६% | १०७% | ११.२३% | ११२% | ५.०२% | ११६% | ३.९५% | ११७% | ०.५७% | ११६% | (०.६२)% |
| लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य | १०८% | ११६% | ७.६५% | ११६% | ०.४५% | ११६% | ०.१०% | ११७% | ०.५७% | ११६% | (०.६२)% |
| लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे | १०८% | ११६% | ७.६५% | ११६% | ०.४५% | ११६% | ०.१०% | ११७% | ०.५७% | ११६% | (०.६२)% |
| लघुदाब ७(अ) : सार्वजनिक सेवा- शासकीय | ११९% | १२२% | ३.०४% | १२५% | २.५७% | १२७% | २.२५% | १३०% | २.९१% | १३१% | १.६४% |
| लघुदाब ७(ब) : सार्वजनिक सेवा इतर | ११९% | १२३% | ३.६५% | १२३% | ०.२५% | १२३% | (०.२०)% | १२३% | ०.३१% | १२२% | (१.०२)% |
| **लघुदाब एकूण** | ९३% | ९४% | ०.९०% | ९३% | (०.७१)% | ९३% | (०.६३)% | ९१% | (१.८१)% | ९१% | ०.०४% |
| लघुदाब ४ : लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप | ५७% | ५३% | (३.५१)% | ५०% | (३.९३)% | ४७% | (२.८७)% | ४२% | ४२.०६% | ४२% | ०.३५% |

विलगीकरणानंतर-

| ग्राहक वर्गवारी | विद्यमान क्रॉस सबसिडी | आ. व. २०२५-२६ | | आ. व. २०२६-२७ | | आ. व. २०२७-२८ | | आ. व. २०२८-२९ | | आ. व. २०२९-३० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट | प्रस्तावित | वाढ / घट |
| लघुदाब १ : लघुदाब- घरगुती | १०६% | १०३% | (३.०४)% | १०१% | (१.९७)% | ९८% | (२.६०)% | ९१% | (७.१३)% | ८८% | (३.१०)% |
| लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती | १५१% | १३४% | (१६.८०)% | १३६% | १.५४% | १३९% | ३.७०% | १५२% | १२.६२% | १६१% | ९.१२% |
| लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) | ७३% | ६९% | (३.६३)% | ७३% | ३.६४% | ७९% | ६.०७% | ९१% | १२.३६% | १००% | ८.६२% |
| लघुदाब ५ (अ): लघुदाब- औद्योगिक -यंत्रमाग | ९६% | ९३% | (३.२७)% | ९७% | ३.९७% | १००% | ३.३२% | १००% | ०.००% | १००% | ०.०५% |
| लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य | १०८% | १००% | (७.९८)% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.०५% |
| लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे | १०८% | १००% | (७.९८)% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | ०.०५% |
| लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय | ११९% | १०६% | (१३.४५)% | १०७% | १.८०% | १०९% | १.८५% | १११% | १.९६% | ११३% | २.०६% |
| लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर | ११९% | १०६% | (१२.९२)% | १०६% | (०.२०)% | १०६% | (०.२६)% | १०५% | (०.२५)% | १०५% | (०.२६)% |
| **लघुदाब एकूण** | ९३% | ८१% | (११.७९)% | ८०% | (०.९३)% | ८०% | (०.६१)% | ७८% | (१.९४)% | ७८% | ०.४९% |
| लघुदाब ४ : लघुदाब- कृषी (मीटर असलेले) | ५७% | १००% | ४३.०२% | १००% | ०.००% | १००% | ०.००% | १००% | (०.००)% | १००% | ०.००% |

**** विलगीकरणापूर्वी व विलगीकरणानंतरच्या सरासरी वीज पुरवठा दराने स्वतंत्र्यपणे क्रॉससबसिडीची गणना.***

### तक्ता ३० : आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंतचे प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार (रु. / युनिट)

| तपशिल | एकक | विद्यमान आ. व. २०२४-२५ | आ. व. २०२५-२६ | आ. व. २०२६-२७ | आ. व. २०२७-२८ | आ. व. २०२८-२९ | आ. व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अतिरिक्त अधिभार | रु./युनिट | १.३९ | १.४१ | १.४३ | १.५३ | १.५१ | १.५९ |

### तक्ता ३१ : आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंतचे उच्चदाब प्रवर्गाकरीता प्रस्तावित क्रॉस सबसिडी अधिभार (रु. / युनिट)

| ग्राहक वर्गवारी | आ. व. २०२५-२६ | आ. व. २०२६-२७ | आ. व. २०२७-२८ | आ. व. २०२८-२९ | आ. व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|
| **उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक** | | | | | |
| उच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| अतिउच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)** | | | | | |
| उच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| अतिउच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य** | | | | | |
| उच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| अतिउच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन** | | | | | |
| उच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| अतिउच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा** | | | | | |
| उच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| अतिउच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर** | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)** | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **उच्चदाब ८ : उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा** | | | | | |
| **उच्चदाब ८ (अ): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय** | | | | | |
| उच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **उच्चदाब ८ (ब): उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा-इतर** | | | | | |
| उच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| अतिउच्चदाब | - | | | | |
| **उच्चदाब ९ : उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन** | | | | | |
| उच्चदाब | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |

**(उर्वरीत जाहीरात पुढील पानावर)**

### तक्ता ३२ : आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंतचे लघुदाब प्रवर्गाकरीता प्रस्तावित क्रॉस सबसिडी अधिभार (रु. / युनिट)

| ग्राहक वर्गवारी | आ. व. २०२५-२६ | आ. व. २०२६-२७ | आ. व. २०२७-२८ | आ. व. २०२८-२९ | आ. व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|
| **लघुदाब (घरगुती):** लघुदाब १ (ब): लघुदाब- घरगुती | | | | | |
| १-१०० युनिट | - | - | - | - | - |
| १०१-३०० युनिट | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| ३०१-५०० युनिट | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| ५०० युनिटपेक्षा जास्त | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती** | | | | | |
| (अ) ० - २० किलोवॅट | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| (ब) >२० किलोवॅट व ≤ ५० किलोवॅट | २.१८ | - | - | - | - |
| (क) >५० किलोवॅट | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW)** | | | | | |
| (ब) > २० किलोवॅट व ≤ ४० किलोवॅट | १.१२ | २.०८ | २.२८ | २.१५ | ०.३१ |
| (क) > ४० किलोवॅट | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर** | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक** | | | | | |
| (i) ०-२० किलोवॅट | १.२३ | १.६५ | १.६१ | १.४५ | ०.५२ |
| (ii) २० किलोवॅटपेक्षा जास्त | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे** | | | | | |
| (अ) ग्रामपंचायत: अ ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका | २.०६ | २.२६ | २.२८ | १.६३ | १.२६ |
| (ब) महानगरपालिका क्षेत्र | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय** | | | | | |
| (i) ≤ २० किलोवॅट | २.१८ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| (ii) >२० - ≤ ५० किलोवॅट | - | - | - | - | - |
| (iii) >५० किलोवॅट | २.१५ | २.२६ | २.२८ | २.१५ | १.२८ |
| **लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर** | | | | | |
| (i) ≤ २० किलोवॅट | १.२० | - | १.५६ | ०.७८ | ०.४२ |
| (ii) >२० - ≤ ५० किलोवॅट | २.१८ | - | - | - | - |
| (iii) >५० किलोवॅट | २.१८ | - | २.२८ | २.१५ | २.१२ |
| **लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन** | २.१८ | - | २.२८ | २.१५ | २.०२ |

२. आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंतचे वर्गवारी निहाय सुधारीत टीओडी (TOD) वीज दर

सदर याचिकेत महावितरणने आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंतचे वर्गवारी निहाय टीओडी (TOD) आकार / सवलत प्रस्तावित करुन सुधारीत टीओडी (TOD) दर प्रस्तावित केले आहे. तसेच, ५ व्या नियंत्रण कालावधीच्या प्रत्येक वषी टीओडी (TOD) आकार, तसेच त्याच्या टप्प्यांमधील बदलांबाबत महावितरणला स्वत:हून आपणाकडे येण्याची परवानगी दयावी.

### तक्ता ३३: आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंतचे वर्गवारी निहाय टीओडी (TOD) आकार व सवलत (रु./युनिट)

| टाइम स्लॉट | रात्री १० ते सकाळी ६ | सकाळी ६ ते सकाळी ९ | सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ | सायंकाळी ५ ते रात्री १० |
|---|---|---|---|---|
| **औद्योगिक श्रेणी** | | | | |
| आर्थिक वर्ष २०२५-२६ | १.०० | १.१५ | (२.१५) | १.३० |
| आर्थिक वर्ष २०२६-२७ | १.१५ | १.१० | (२.३५) | १.४५ |
| आर्थिक वर्ष २०२७-२८ | १.२० | १.२० | (२.४५) | १.५५ |
| आर्थिक वर्ष २०२८-२९ | १.२० | १.२० | (२.४०) | १.५० |
| आर्थिक वर्ष २०२९-३० | १.१५ | १.२० | (२.३५) | १.४० |
| **व्यावसायिक श्रेणी** | | | | |
| आर्थिक वर्ष २०२५-२६ | ०.९० | १.२५ | (२.१५) | १.४० |
| आर्थिक वर्ष २०२६-२७ | १.०५ | १.२० | (२.३५) | १.५५ |
| आर्थिक वर्ष २०२७-२८ | १.१० | १.३० | (२.४५) | १.६५ |
| आर्थिक वर्ष २०२८-२९ | १.१० | १.३० | (२.४०) | १.६० |
| आर्थिक वर्ष २०२९-३० | १.०५ | १.३० | (२.३५) | १.५० |
| **घरगुती श्रेणी** | | | | |
| आर्थिक वर्ष २०२५-२६ | - | - | (०.८०) | - |
| आर्थिक वर्ष २०२६-२७ | - | - | (०.८५) | - |
| आर्थिक वर्ष २०२७-२८ | - | - | (०.९०) | - |
| आर्थिक वर्ष २०२८-२९ | - | - | (०.९५) | - |
| आर्थिक वर्ष २०२९-३० | - | - | (१.००) | - |
| **इतर सर्व श्रेणी** | | | | |
| आर्थिक वर्ष २०२५-२६ | १.१५ | १.१५ | (२.१५) | १.१५ |
| आर्थिक वर्ष २०२६-२७ | १.३० | १.१० | (२.३५) | १.३० |
| आर्थिक वर्ष २०२७-२८ | १.३५ | १.२० | (२.४५) | १.४० |
| आर्थिक वर्ष २०२८-२९ | १.३५ | १.२० | (२.४०) | १.३५ |
| आर्थिक वर्ष २०२९-३० | १.३० | १.२० | (२.३५) | १.२५ |

३. आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० करिता प्रस्तावित ग्रीड समर्थन शुल्क

महावितरणने पाचव्या नियंत्रण कालावधीकरीता ग्रीड समर्थन शुल्क प्रस्तावित केले आहेत.

### तक्ता ३४ : पाचव्या नियंत्रण कालावधीकरीता प्रस्तावित ग्रीड समर्थन शुल्क

| तपशिल | आ. व. २०२५-२६ | आ. व. २०२६-२७ | आ. व. २०२७-२८ | आ. व. २०२८-२९ | आ. व. २०२९-३० |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रीड समर्थन शुल्क (उच्चदाब) | १.४४ | १.५३ | १.५९ | १.६३ | १.७२ |
| ग्रीड समर्थन शुल्क (लघुदाब) | १.९३ | २.०९ | २.१९ | २.२५ | २.३५ |

४. आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० साठी प्रस्तावित हरित वीजदर

महावितरणकडून १००% नुतनशील/नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एकसमान हरित वीज दर प्रस्तावित केले आहेत.

### तक्ता ३५ : महावितरणकडून पाचव्या नियंत्रण कालावधीकरीता प्रस्तावित हरित वीजदर

| तपशिल | एकक | ५ व्या नियंत्रण कालावधीसाठी |
|---|---|---|
| महावितरणकडून १००% नुतनशील/नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हरित ऊर्जा वीज दर | रु/युनिट | ०.२५ |

**५. उपसा जलसिंचन योजनेचे सौर ऊर्जीकरण**

महाराष्ट्र शासन निर्णय (क्र.सौरप्र-२०२४/प्र.क्र.११) ऊर्जा-७ दि. १५.०३.२०२४ याद्वारे उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर उर्जीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महावितरणला, ना नफा ना तोटा या तत्वावर सदरची योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. LIS ग्राहकांना नोंद झालेल्या वापरानुसार देयके देऊन जमा असलेल्या युनिट्सची भरपाई दिली जाईल, परिणामी सदर ग्राहकांचे वीज बील कमी होईल.

६. महावितरणने आकार पत्रामध्ये (Schedule of Charges) सुधारणा प्रस्तावित केली आहे. त्याचे तपशील याचिकेमध्ये उपलब्ध आहे.

७. सविस्तर याचिका, याचिकेचा कार्यकारी सारांश आणि संसाधन पर्याप्तता अहवाल महावितरणच्या https://www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे व कार्यकारी सारांश मा. आयोगाचे संकेतस्थळ https://merc.gov.in वरुन देखील डाउनलोड (विनामूल्य) करता येईल.

८. खालील दस्तऐवजांच्या प्रती महावितरणच्या कंपनीच्या खाली नमुद केलेल्या कार्यालयांत लेखी विनंती अर्ज केल्यास मिळू शकतील.

क) कार्यकारी सारांश प्रस्ताव (विनामूल्य, मराठी / इंग्रजीत).

ख) याचिकेचे तपशीलवार दस्ताऐवज सीडी सहित (इंग्रजीमधील) ("महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित" या नावाने डिडीद्वारे (मुंबई येथे देय असलेले) / रोखीने रु.**250/-** चे प्रदान केल्यानंतर).

ग) याचिकेचे तपशिलवार दस्ताऐवज (इंग्रजीमधील)- (रु.२००/-चे वरीलप्रमाणे प्रदान केल्यानंतर).

घ) याचिकेचे तपशिलवार दस्ताऐवजांची सीडी (इंग्रजीमध्ये)- (रु. १००/- चे वरीलप्रमाणे प्रदान केल्यानंतर).

**मुख्य कार्यालय**

| कार्यालय | पत्ता |
|---|---|
| सांघिक कार्यालय | अधीक्षक अभियंता (वीजदर नियामक कक्ष), महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि., पाचवा मजला, प्रकाशगड, प्लॉट क्रमांक जी-९, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. दूरध्वनी क्रमांक : ६९८५२२०० / ६९८५३५३५; |

**इतर कार्यालये**

१. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., भांडुप शहर परिमंडल, विद्युत भवन, 1 ला मजला, एशियन पेंटजवळ, एलबीएस मार्ग, भांडुप, मुंबई-४०००७८.
एसटीडी कोड-०२२,दुरध्वनी क्र.25661836
ई-मेल: cebhandup1@gmail.com
cebhandup@mahadiscom.in

२. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., छत्रपती संभाजी नगर परिमंडल, विद्युत भवन, आयुक्त कार्यालया समोर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, छत्रपती संभाजी नगर-431001.
एसटीडी कोड- ०२४०,दुरध्वनी क्र. 2331347 (वै), 2334065 (का)
ई-मेल: ceaurangabad@gmail.com

३. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., अकोला परिमंडल, विद्युतभवन, रतनलाल प्लॉट, अकोला-४४०००५.
एसटीडी कोड-०७२४,दुरध्वनी क्र .-2434740 (वै), 2450121 (का)
ई-मेल : ceakola@gmail.com

४. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., नागपूर परिमंडल,विद्युत भवन, तळ मजला, काटोल रोड, नागपूर-४४००१३.
एसटीडी कोड- ०७१२, दु. क्र. 2591993/ २५९१९७६
ई-मेल: cenagpur@gmail.com

५. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या.,नाशिक परिमंडल, विद्युत भवन, बिटको पॉईंट, नाशिकरोड, नाशिक-४२२१०१. एसटीडी कोड-०२५३, दु.क्र.2970739
ई-मेल: censkzmsedcl@gmail.com

६. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., पुणे परिमंडल, प्रशासकीय इमारत, पॉवर हाऊस, रास्ता पेठ, पुणे-४११०११.
एसटीडी कोड- ०२०, दु.क्र.26065740 (वै) , 26122052 (का)
ई-मेल: cepuneurban@gmail.com

७. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., अमरावती परिमंडल, विद्युत भवन, शिवाजी नगर कॅम्प एरिया, अमरावती-444603. एसटीडी कोड- ०७२१, दु.क्र. 2551168
ई-मेल: ceamtz@gmail.com

८. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., कल्याण परिमंडल, तेजश्री, जहांगीर मैदान, कर्णिक रोड, कल्याण (प.) ४२१ ३०१.
एसटीडी कोड-0251, दु.क्र.: 2305960(वै)
ई-मेल: cekalyan5@gmail.com

९. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., कोकण परिमंडल, नवीन प्रशासकीय इमारत, नाचणी रोड, रत्नागिरी-415639. एसटीडी कोड-02352. दु.क्र.: 225852 (वै), 271003 (ओ),
ई-मेल: cekzrtech@gmail.com

१०. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., कोल्हापूर परिमंडल, प्रशासकीय इमारत, विद्युत भवन, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर- 416003.
एसटीडी कोड-0231. दु.क्र.2653583 (वै), 2650581 ते 84 (का),
ई-मेल: cekolhapur1@gmail.com

११. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., लातूर परिमंडल, कीर्ती ऑइल मिल समोर, प्लॉट क्र.पी-21, एमआयडीसी परिसर, लातूर- 413531. दुं. क्र. 2533444
ई-मेल:celatur@gmail.com

१२. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., जळगाव परिमंडल, विद्युत भवन, जुनी एमआयडीसी, अजिंठा रोड, जळगाव-425003.
एसटीडी कोड-0257. दु.क्र.फोन: 2272917 (वै), 2272990 (का),
ई-मेल: cejalgaonzone@gmail.com

१३. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., नांदेड परिमंडल, विद्युत भवन, अण्णाभाऊ साठे चौक, नांदेड- 431602. एसटीडी कोड-02462 दु.क्र.: 286801 (वै),
ई-मेल: cendz.msedcl@gmail.com

१४ . मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., बारामती परिमंडल, उर्जा भवन, भिगवन रोड, बारामती- 413102.
एसटीडी कोड-02112. दु.क्र.244772 (वै),
ई-मेल: cebaramati@gmail.com

१५. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., गोंदिया परिमंडल, जुने पॉवर हाऊस, राम नगर गोंदिया-441 614.
एसटीडी कोड-07182, दु.क्र.: 253244
ई-मेल: cegondia@gmail.com

१६. मुख्य अभियंता (सं व सु), म.रा.वी.वि.कं.मर्या., चंद्रपुर परिमंडल, २ रा मजला, बल्लारशाह, चंद्रपुर-442403.
एसटीडी कोड-07172. दु.क्र.: 227411 (वै), 227414 (का)
ई-मेल: cechandrapur@gmail.com

महावितरण कंपनीने या जाहिर सूचनेद्वारे उक्त याचिका व संसाधन पर्याप्तता योजने संदर्भात जनतेकडून सूचना/हरकती /अभिप्राय मागवाव्यात, असे मा. आयोगाचे निर्देश आहेत. जनतेने आपल्या सूचना /हरकती /अभिप्राय इंग्रजी व मराठी भाषेत लेखी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्या वेब प्रणालीवर **'ई-पब्लिक कन्सल्टेशन' टॅबवर (www.merc.gov.in/e-public-consultation)** नोंदव्याव्यात. यासंबंधी काही तक्रार असल्यास मोबाईल नं. ८९२८०७१५२२ अथवा ०९१-२२-६९८७६६६६ वर सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.०० या कार्यालयीन वेळेत संपर्क करावा.

ज्या व्यक्तीने वेबप्रणालीवर 'ई-पब्लिक कन्सल्टेशन' टॅबवर जाऊन आपल्या सूचना व हरकती लेखी स्वरुपात नोंदविल्या आहेत त्यांनी सदर सूचना व हरकती प्रत्यक्ष लेखी स्वरुपात (hard copy) देण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, ऑनलाईन वेब प्रणालीवर नोंद न करु शकलेल्या व्यक्तीने **सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ वा मजला, केंद्र क्र.१, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५** या पत्त्यावर प्रत्यक्ष लेखी स्वरुपात (hard copy) सुचना व हरकती /अभिप्राय याची प्रत देताना एक प्रत अधीक्षक अभियंता (वीजदर नियामक कक्ष), पाचवा मजला, प्रकाशगड, प्रोफेसर अनंत काणेकर मार्ग, प्लॉट नं.जी-९, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ दुरध्वनी क्रमांक ०९१-२२-६९८५२२००/ ६९८५३५३५ (कार्यालय) यांना पाठविल्याचा पुरावा जोडण्यात यावा. तसचे सूचना/ हरकती/अभिप्राय दाखल करु इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे त्यावर प्रेषकाचे संपुर्ण नाव, टपालाचा पत्ता, असल्यास ई-मेल पत्ता नोंद करावा. एखाद्या ग्राहक संघटनेच्यावतीने अथवा ग्राहक वर्गवारीच्यावीतने हरकती दाखल करण्यात येत असल्यास तसे स्पष्ट नमुद करावे. **दि. १७ फेब्रुवारी २०२५** सायंकाळी ५.०० नंतर दाखल केलेल्या सुचना व हरकती ग्राहय धरण्यात येणार नाही. तसेच इतर मार्गाने दाखल केलेल्या सुचना व हरकती ग्राहय धरण्यात येणार नाही.

**दि. १७ फेब्रुवारी २०२५** पर्यंत प्राप्त झालेल्या प्रत्येक सुचना/ हरकती / अभिप्राय यांना महावितरण कडुन तीन दिवसात परंतु दिनांक **दि. २० फेब्रुवारी २०२५** पर्यत उत्तरे देण्यात येतील. महावितरण तर्फे देण्यात आलेल्या उत्तरावर ग्राहक / आक्षेपक त्यांची प्रतिप्रश्न किंवा उत्तरे जाहिर सुनावणीच्यावेळी किंवा उशिरात उशिरा दि. **७ मार्च २०२५** पर्यंत दाखल करु शकतील.

ज्या हरकतीदार किंवा सुचनाकारांनी वर नमुद केल्यानुसार आपल्या सुचना / हरकती / अभिप्राय दाखल केल्या आहेत व तसेच वरील हरकतीदारांना किंवा सूचनाकारांना ई-सुनावणी वेळेस प्रत्यक्ष हजर रहावयाचे असल्यास त्यांनी सुचना व हरकती मांडतांना कुठे हजर राहणार त्या ठिकाणाचा स्पष्ट उल्लेख करावा. अशा परिस्थितीत , आपला भ्रमणध्वनी क्रमांक व वैध ई-मेल आयडी याची माहिती देणे बंधनकारक राहिल.

ई-सुनावणीस भाग घेणाऱ्यांनी मा. आयोगाने दि. **१४ नोंव्हेंबर २०२२** रोजी निर्गमित केलेल्या "Operational procedure and protocol to be followed for e-hearing of the Petition before the Commission" या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे तसेच, ज्या हरकतीदारांना किंवा सुचनाकारांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे ई-सुनावणीस भाग घेणे शक्य नाही त्यांनी खालील तक्त्यातील ई-सुविधा केंद्रामध्ये भेट देऊन ई-सुनावणीमध्ये सहभागी व्हावे. सदर हरकतदारांचे म्हणणे व्हिडीयो कॉन्फरसद्वारे ई-जाहिर सुनावणीस ऐकण्याचे सर्व अधिकार मा. आयोगाला आहेत व त्या संबंधित कोणतीही स्वतंत्र सुचना देण्यात येणार नाहीत.

| अ.क्र. | जाहीर सुनावणीकरीता ई-सुविधा केंद्रे | वेळ (सकाळी) | सुनावणीची तारीख |
|---|---|---|---|
| १ | **नवी मुंबई :** कॉन्फरन्स हॉल, ७ वा माळा, सिडको भवन, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई | १०.३० वा. | २५ फेब्रुवारी २०२५ |
| २ | **पुणे :** सभागृह, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शिवाजीनगर, पुणे | १०.३० वा. | २७ फेब्रुवारी २०२५ |
| ३ | **नाशिक :** डीपीडीसी हॉल नियोजन भवन सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, जुना आग्रा रोड, नाशिक | १०.३० वा. | २८ फेब्रुवारी २०२५ |
| ४ | **छत्रपती संभाजी नगर :** एएससीडीएल मुख्यालय ओसीसी हॉल औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्रपती संभाजी नगर | १०.३० वा. | १ मार्च २०२५ |
| ५ | **अमरावती** डीपीडीसी हॉल, अमरावती, जिल्हा - अमरावती | १०.३० वा. | ३ मार्च २०२५ |
| ६ | **नागपूर :** जिल्हा नियोजन समिती, सदर पोलिस ठाण्याच्या मागे, नागपूर | १०.३० वा. | ४ मार्च २०२५ |

सही
संचालक (वाणिज्य)
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या.

**ठिकाण : मुंबई**
**तारीख : २४ जानेवारी २०२५**

(जाहीरात समाप्त)